[2018] 12 एस. सी. आर 495

राजस्थान सिलेंडर्स और कंटेनर्स लिमिटेड

वी.

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

(2014 की सिविल अपील संख्या 3546)

1 अक्टूबर, 2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002:

एसएस। 3 , 19 और 27-प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा शुरू की गई गुटबंदी, बोली-धांधली और मिलीजुली बोली-स्वतः संज्ञान कार्यवाही

भारत सरकार-एल. पी. जी. गैस सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई. ओ. सी. एल.) द्वारा जारी निविदा में अनुचित शर्तों के बारे में शिकायत की जांच करने वाले एल. पी. जी. गैस सिलेंडरों के बोलीदाताओं/निर्माताओं के खिलाफ-प्रतिस्पर्धा आयोग ने माना कि इसमें सांठगांठ थी।

बोली-प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रतिस्पर्धा आयोग के निष्कर्षों की पुष्टि की-अपील पर अभिनिर्धारित कियाः आयोग का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रतिस्पर्धा को खत्म करने की प्रवृत्ति रखने वाली स्थितियों पर अंकुश लगाया जाए-ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता है जिसके आधार पर गुटबंदी या ऐसा समझौता किया गया हो।

आयोग द्वारा एकत्र किए जाने से एस में उल्लिखित एक या अधिक या सभी कारक सामने आते हैं। 19 (3) , इसे फिर से एक ऐसे समझौते के रूप में माना जाएगा जो प्रतिस्पर्धा पर एक सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकता है या होने की संभावना है-वर्तमान मामले में, आयोग द्वारा लिए गए निष्कर्ष, उसके द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर, अपीलकर्ताओं/निर्माताओं द्वारा विधिवत खंडन किया गया है-वे उस दायित्व का निर्वहन करने में सक्षम हैं जो उन पर स्थानांतरित किया गया है हालांकि, उस स्तर पर, आयोग मामले को आगे बढ़ाने में विफल रहा-इस प्रकार, यह मानने के लिए कोई पर्याप्त सबूत नहीं है कि कोई समझौता हुआ था बोली में धांधली के लिए अपीलकर्ताओं के बीच-निर्माताओं द्वारा अपील

अनुमति है-चूंकि कोई जुर्माना देय नहीं है, इसलिए आयोग की अपीलों को निष्फल-साक्ष्य के रूप में खारिज कर दिया जाता है।

शब्द और वाक्यांशः

निर्माताओं द्वारा दायर अपीलों को अनुमति देना और प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दायर अपीलों को खारिज करना, न्यायालय पकड़नाः 1. एक तरफ देश की आर्थिक नीति ने उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग की शुरुआत की है

निजी क्षेत्र को व्यापार करने के तरीके के साथ-साथ सार्वजनिक हित और उपभोक्ताओं के हित में कुछ नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए नियामकों की एक व्यवस्था भी लाई गई है। चूँकि उद्यमों या व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सेवा के रूप में माना जाता है और इसलिए प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी. सी. आई.)

(एक नियामक के रूप में) यह सुनिश्चित करने का कार्य कि ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाएं न अपनाई जाएं। वास्तव में, अधिनियम की धारा 18 सी. सी. आई. पर प्रतिबंधों को 'समाप्त' करने का एक विशिष्ट और सकारात्मक दायित्व डालती है।

प्रतिस्पर्धी प्रथाओं और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, रुचि उपभोक्ता और मुक्त व्यापार। [पैरा 72] [536-जी-एच; 537-ए-बी]

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और एक अन्य (2010) 10 एस. सी. सी. 744: [2010]

11 एस. सी. आर. 112-पर निर्भर।

2. प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं में से एक गुटबंदी है, जिसका आवश्यक अभिधारणा उद्यमों के बीच समझौता है।

या वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, भंडारण, अधिग्रहण या नियंत्रण या सेवा के प्रावधानों के संबंध में उद्यमों या व्यक्तियों या व्यक्तियों के संघों का संघ, जो भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव डालता है या पैदा करने की संभावना है। इस तरह के समझौते को अमान्य माना जाता है। समझौते के प्रकार जो धारा 3 के खिलाफ हो सकते हैं, उनका उल्लेख इसकी उप-धारा (3) में किया गया है। इनमें बाजार को साझा करना शामिल है -

बाजार के भौगोलिक क्षेत्रों का आवंटन [खंड (ग)] और ऐसे समझौते जिनके परिणामस्वरूप बोली में धांधली या मिली-जुली बोली लगाई जाती है।

चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से [खंड (घ)]।

एक धारणा है कि राजस्थान सिलेंडर्स एंड कंटेनर्स लिमिटेड v। भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

कि उप-धारा (3) में उल्लिखित चार प्रकार के समझौतों का प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। [पैरा 73] [537 एफ-एच] 3. अधिनियम की धारा 19 (3) में उन कारकों का उल्लेख किया गया है जिनकी जाँच सी. सी. आई. द्वारा यह निर्धारित करते समय की जानी चाहिए कि क्या

समझौते का धारा 3 के तहत प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तथापि, उन मामलों में इस जांच की आवश्यकता होगी जो धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ए) से खंड (डी) के अंतर्गत नहीं आते हैं। कारण सरल है। प्रकृति की सहमति

उप-धारा (3) में उल्लिखित प्रभाव सराहनीय माना जाता है और इसलिए, एक बार निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद सी. सी. आई. द्वारा आगे किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, कि कोई विशेष समझौता उपरोक्त चार श्रेणियों में से किसी में भी आता है। धारा 3 (3) में उल्लिखित समझौतों से यह धारणा बनती है कि ऐसे समझौतों का प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह इस प्रकार है कि

इसलिए, कि यह धारणा खंडन योग्य है क्योंकि इन समझौतों को इस तथ्य के निर्णायक प्रमाण के रूप में नहीं माना जाता है कि इसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। निम्नलिखित बात यह है कि एक बार जब सी. सी. आई. को पता चलता है कि मामला धारा 3 की उप-धारा (3) में उल्लिखित एक या अधिक खंडों द्वारा कवर किया गया है, तो उसे आगे कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है और बोझ इन पर स्थानांतरित हो जाएगा। उद्यमों या व्यक्तियों आदि को पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करके उक्त धारणा का खंडन करना। यदि ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, जो अनुमान को दूर करता है, तो सी. सी. आई. इस पर विचार करेगा।

4. धारा 3 का स्पष्टीकरण 'बोली में धांधली' का अर्थ निर्धारित करता है। बोली में धांधली के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार हैं: (ए) पक्षों के बीच समझौता; (बी) ये पक्ष समान या समान उत्पादन या माल या प्रावधानों के व्यापार में लगे हुए हैं। सेवाओं का; और (ग) समझौते का बोलियों की प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने या कम करने या [2018] 12 एस. सी. आर. को प्रतिकूल रूप से प्रभावित या हेरफेर करने का प्रभाव पड़ता है।

बोली लगाने की प्रक्रिया। हालांकि अधिनियम में 'मिली-जुली बोली' अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 'बोली में धांधली' और 'मिली-जुली बोली' दोनों ही परस्पर व्याप्त अवधारणाएं हैं। [पारस 75,77] [538 जी; 539-बी-सी]

समझौतों और के मुख्य उद्देश्य के बारे में लाता है प्रतिस्पर्धा अधिनियम। इस अधिनियम का उद्देश्य केवल प्रकाश डालना नहीं है

प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाएं लेकिन बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए भी। प्रवर्तन

ऐसी स्थिति से बचने के लिए उपाय प्रदान करता है जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी। इसलिए, प्रभावी प्रवर्तन न केवल प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण को मंजूरी देने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भविष्य की प्रतिस्पर्धी प्रथाओं को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान मामले में ही उत्पाद के साठ आपूर्तिकर्ता हैं जिनके लिए तीन खरीदार हैं। आखिरकार, प्रत्येक आपूर्तिकर्ता एल-1 या एल-2 होना चाहेगा ताकि वह दूसरे की तुलना में अधिक मात्रा में ऑर्डर प्राप्त कर सके। इस मायने में उनके बीच प्रतिस्पर्धा होगी। इसके अलावा, यह आई. ओ. सी. एल. आदि जैसे खरीदारों के हित में भी होगा कि बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तत्व बने रहें। [पारस 78 और 79] [543-डी; 544-सी-ई]

6. सी. सी. आई. का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रतिस्पर्धा को खत्म करने की प्रवृत्ति रखने वाली स्थितियों पर अंकुश लगाया जाए। यह सुनिश्चित करना भी सी. सी. आई. का कार्य है कि

प्रतिस्पर्धा ताकि इस तरह की प्रतिस्पर्धा का लाभ उपभोक्ताओं को मिले। [पैरा 79] [544-ई]
7. सी. सी. आई. और प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (सी. ओ. एम. पी. ए. टी.) ने अभिनिर्धारित किया है कि वर्तमान मामले में मिलीजुली बोली थी

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आपूर्तिकर्ताओं का एक सक्रिय व्यापार संघ है; बोली की तारीख से कुछ दिन पहले एक बैठक हुई; इन अपीलकर्ताओं द्वारा सामान्य परिवर्तनों की ओर इशारा किया गया जिन्होंने उनकी ओर से बोलियां प्रस्तुत कीं; और बोलियां अलग-अलग लागतों के बावजूद समान राशि की थीं, जो प्रकृति में दोहराव वाली थीं। उत्तरदाताओं का यह कहना सही हो सकता है कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं हो सकता है जिसके आधार पर गुटबंदी या पक्षों के बीच इस तरह के समझौते को साबित किया जा सके क्योंकि ये राजस्थान साइलैंडर्स एंड कॉन्टैनर्स लिमिटेड v हैं।

भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

समझौते आम तौर पर बंद दरवाजों में किए जाते हैं। द.

प्रमाण का मानक जो आवश्यक है, संभावना का एक मानक है। [पैरा 80] [544-जी-एच; 545-ए]

टेक्नीप एसए वी। एस. एम. एस. होल्डिंग (पी) लिमिटेड और अन्य। (2205) 5 एस. सी. सी. 465 [2005] 1 पूरक। एस. सी. आर. 223; आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी I, बॉम्बे बनाम। जुबली मिल्स लिमिटेड, बॉम्बे (1963) 48 आई. टी. आर. 9-पर निर्भर था।

8. यहाँ तक कि औपचारिक समझौते के प्रमाण के अभाव में भी, जब ऐसे संकेतक हैं कि पार्टियों के बीच व्यावहारिक सहयोग था जो जानबूझकर प्रतिस्पर्धा के जोखिम को प्रतिस्थापित करते हैं, तो यह प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के बराबर होगा। [पैरा 83] [549-डी]

9. जिस तरह से निविदा प्रक्रिया होती है

बोली लगाने वालों को अपनी बोलियां जमा करनी चाहिए। उपरोक्त तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिन कारकों के आधार पर सी. सी. आई. इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि गुटबंदी थी, वास्तव में, सी. सी. आई. द्वारा बताए गए संकेतकों के लिए वैध स्पष्टीकरण बन जाते हैं। [पारस 90 और 91] [555-एफ-जी]
10. बाजार की स्थितियों के साथ समान उत्पाद जिनके लिए केवल तीन खरीदार होंगे, वास्तव में, इसके पक्ष में जाएंगे

याचिकाकर्ताओं। दोहराए जाने वाली बोली का कारक, हालांकि दिखाई देता है

अपीलार्थियों के विरुद्ध एक कारक होना, उपरोक्त परिदृश्य में भी संभव था। मौजूदा परिस्थितियां वास्तव में कीमत में बहुत अधिक भिन्नता की संभावना को खारिज करती हैं और सभी निर्माता लगभग एक दूसरे के काफी करीब कीमत के साथ अपनी बोली जमा करने के लिए मजबूर हैं। इसलिए, इसे बनाए रखना आवश्यक हो गया

खुद बाज़ार में। इसलिए, यह कारक कि ये आपूर्तिकर्ता अलग-अलग क्षेत्रों से हैं, जिनकी निर्माण लागत अलग-अलग है अपना महत्व खो देंगे। यह एक ऐसी स्थिति है जहां मुख्य शर्त उस कीमत को उद्धृत करना है जिस पर एक विशेष निर्माता [2018] 12 एस. सी. आर. खरीद सकता है।

एक आदेश तब भी जब इसकी निर्माण लागत दूसरों की निर्माण लागत से अधिक हो। इस तरह के निर्माण का मुख्य उद्देश्य दौड़ में बने रहना और हारना नहीं होगा। इसलिए, यह कम मार्जिन स्वीकार करने के लिए तैयार होगा। यह जवाब देगा कि अलग-अलग लागत के बावजूद लगभग समान बोलियां क्यों थीं। [पैरा 91] [556-ए-डी]

11. जहां तक निविदा जमा करने की तारीख से ठीक पहले मुंबई में बोलीदाताओं की बैठक का संबंध है, कुछ पहलू हैं।

निविदा की तारीख से कुछ दिन पहले। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एजेंडा के रिकॉर्ड में न आने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि, उस बैठक में केवल 19 अपीलार्थी उपस्थित थे। कई अन्य सदस्य भी नहीं थे या बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इसके बावजूद, उन्होंने भी बैठक में भाग लेने वाले के लगभग समान दरों का हवाला दिया। यह न्यायालय को इस निष्कर्ष पर ले जाएगा कि समान कीमत उद्धृत करने का कारण बैठक नहीं बल्कि कुछ और था। [पैरा 92] [556-डी-ई]

12. मोनोपसोनी में एक यार वाला बाजार शामिल है। जब केवल कुछ ही खरीदार होते हैं तो बाजार को अल्पविकसित माना जाता है। ऐसी स्थिति में, एक निर्माता जिसके पास कोई खरीदार नहीं है, उसे व्यापार से बाहर निकलना होगा। इसलिए, ऑलिगोप्सोनी की पहली शर्त पूरी हो जाती है। ऑलिगोप्सोनी के अस्तित्व के लिए दूसरी शर्त यह है कि क्या खरीदारों का अपने निवेश की कीमत पर कुछ प्रभाव है। यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या विक्रेता के पास कीमतें बढ़ाने की कोई क्षमता है या यह उपरोक्त खरीदारों द्वारा कम/समाप्त कर दिया गया है। [पैरा 95] [558-जी-एच; 559-ए]

13. मामले के एक उदासीन दृष्टिकोण पर, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी उल्लेख करके दायित्व का निर्वहन करने में सक्षम रहे हैं -

विभिन्न संकेतक जो यह दर्शाते हैं कि समानांतर व्यवहार किसी भी ठोस अभ्यास का परिणाम नहीं था। [पैरा 96] [559-ए-बी]

14. समानांतर व्यवहार, अपने आप में, एक के बराबर नहीं है

ठोस अभ्यास, हालांकि यह इस तरह के अभ्यास का एक मजबूत प्रमाण प्रदान कर सकता है। फिर भी, यह इस तरह की प्रथा का एक मजबूत प्रमाण है। हालाँकि, इस तरह का निष्कर्ष निकालने से पहले इसे करना होगा

यह देखा जा सकता है कि इस समानांतर व्यवहार ने स्थितियों को जन्म दिया है प्रतियोगिता जो राजस्थान सिलेंडर और कंटेनर्स लिमिटेड की सामान्य शर्तों के अनुरूप नहीं है।

बाजार, उत्पादों की प्रकृति, उक्त बाजार के उपक्रम के आकार और मात्रा को ध्यान में रखते हुए। [पैरा 97] [559-बी-सी]

15. जब भी ऑलिगोप्सोनी की स्थिति होती है, तो समानांतर मूल्य निर्धारण सरलीकरण इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि

क्या एक ठोस प्रथा थी जो अन्य विश्वसनीय होनी चाहिए और यह दिखाने के लिए पुष्टि करने वाले साक्ष्य कि एक अल्पाधिकार में कीमत में कमी अन्य दो या तीन प्रतिद्वंद्वियों के ग्राहकों को तेजी से आकर्षित करेगी, जिन पर प्रभाव इतना विनाशकारी होगा कि उन्हें कटौती का मिलान करके प्रतिक्रिया देनी होगी। [पैरा 97] [559-डी-ई]

16. सी. सी. आई. द्वारा उसके द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों का अपीलार्थियों द्वारा विधिवत खंडन किया जाता है और अपीलार्थी सी. सी. आई. द्वारा बताए गए कारकों के आधार पर उन पर स्थानांतरित किए गए दायित्व का निर्वहन करने में सक्षम हुए हैं। हालाँकि, उस स्तर पर, सी. सी. आई. तत्काल मामले में आवश्यक और आवश्यक जांच करके मामले को आगे बढ़ाने में विफल रहा। [पैरा 102] [563-एफ-जी]

17. आईओसीएल की ऐसी जलरोधी निविदा नीति में, जिसने आईओसीएल को निविदा प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण दिया था, यह आवश्यक था

आई. ओ. सी. एल. को बुलाना। इसने कई पहलुओं को स्पष्ट कर दिया होगा जो

रहस्य में डूबे हुए हैं और धूल को साफ नहीं किया गया है। [पैरा 103] [563-जी-एच]

18. इस प्रकार, यह मानने के लिए कोई पर्याप्त सबूत नहीं है कि बोली में धांधली के लिए अपीलार्थियों के बीच कोई समझौता हुआ था। ए के रूप में

नतीजतन, चूंकि कोई जुर्माना देय नहीं है, इसलिए सी. सी. आई. की अपीलों को निष्फल बना दिया जाता है और इस तरह खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 104] [564-ए-बी]

भारत संघ बनाम हिंदुस्तान विकास निगम (1993) 3 एस. सी. सी. 499: [1993] 3 एससीआर 128; अशोका स्मोकलेस कोल इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2007) 2 एससीसी 640: [2006] 9 पूरक। एस. सी. आर. 954; एक्सेल फसल देखभाल सीमित वी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और एएनआर।

(2017) 8 एस. सी. सी. 47 [2017] 5 एस. सी. आर. 901; भारत संघ बनाम। हिन्दुस्तान विकास निगम (1993) 1 एस. सी. सी. 467 [1993] 3 एस. सी. आर. 108; भारत संघ बनाम। हिन्दुस्तान विकास सहयोग (1993) 3 एस. सी. सी. 499: [1993] 3 एस. सी. आर. 128; पंजाब भूमि विकास और सुधार

निगम लिमिटेड बनाम। पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय [2018] 12 एस.

2 एससीआर 643; सीसीआई बनाम। डब्ल्यू. बी. फिल्म के कलाकार और तकनीशियन & टेलीविजन (2017) 5 एस. सी. सी. 17: [2017] 5 एससीआर 1; संघ

भारत बनाम हिंदुस्तान विकास निगम (1993) 3 एससीसी 499: [1993] 3 एस. सी. आर. 128-संदर्भित।

अह्लस्ट्रॉम ओसाकेह्यो बनाम। आयोग 31.3.1993, ईसीजे

346 यूएस 357; मोनसेंटो कं. बनाम। स्प्रे-राइट सर्विस कार्पोरेशन। 465 अमेरिका 752,104 एस. सी. टी. 1464, 79 एल. एड. 2 एनडी 775 (1984);

मात्सुशिता बनाम। जेनिथ अनुपात कार्पोरेशन। 475 U.S.574 (1986)

बेल अटलांटिक कॉर्प बनाम। टोम्बली 550 यू. एस. 544-संदर्भित

को।

मामला कानून संदर्भ

[1993] 3 एससीआर 128

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[2006] 9 पूरक। एससीआर 954

संदर्भित किया गया है

पै

रा 27

[2017] 5 एससीआर 901

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[1993] 3 एससीआर 108

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

[1993] 3 एससीआर 128

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

[1990] 3 एससीआर 111

संदर्भित किया गया है

पै

रा 43

[1985] 2 एससीआर 643

संदर्भित किया गया है

पै

रा 45

[2017] 5 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 48

[1993] 3 एससीआर 128

पै

रा 52

संदर्भित किया गया है

[2010] 11 एससीआर 112

संदर्भित किया गया है

पै

रा 72

[2005] 1 पूरक। एससीआर 223

उस पर भरोसा करें

पै

रा 80

(1963) 48 आईटीआर 9

उस पर भरोसा करें

पै

रा 81

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं.:

2014 का

प्रतियोगी के 20.12.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2012 की अपील सं. 59 में अपीलीय न्यायाधिकरण।

राजस्थान सिलेंडर्स एंड कंटैनर्स लिमिटेड v. भारत और ए. एन. ए. आर. का संघ

के साथ

सिविल अपील सं। 4280/2014 , 4346/2014 , 4649/2014 , 4342/2014 , 4879/2014 , 4868/2014 , 6033/2014 , 5771/2014 , 5772/2014 , 5035/2014 ,

5773/2014 , 5649/2014 , 5650/2014 , 5651/2014 , 4972/2014 , 6661/2014 , 7214/2014 , 7102/2014 , 6365/2014 , 6025/2014 , 5993-5994 / 2014 , 6868/2014 , 5774/2014 , 5775/2014 , 5776/2014 , 5832-5833 / 2014 , 5777/2014 , 5778/2014 , 6371/2014 , 8953/2014 , 6372/2014 , 6373/2014 , 6366/2014 , 6367/2014 , 6374/2014 , 6368/2014 , 6364/2014 , 6369/2014 , 6370/2014 , 10579/2014 , 1724/2015 , 5277-5278 / 2016 , 5281-5315 / 2016 , 7359/2016 .

सलमान खुर्शीद, प्रशांतो सेन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मनन वर्मा, सुश्री निधि खन्ना, श्रीमती सरला चंद्र, सुश्री दीक्षा राय, अर्जुन कृष्णन, ओ.

पी. गग्गर, आदित्य गग्गर, सुदिप्तो सरकार, अन्नम डी. एन. राव, अन्नम वेंकटेश, राहुल मिश्रा, अमोल सिन्हा, सुश्री अंशुम जैन, राहुल कोचर, नवीन कुमार, दीपक आनंद, एन. एस. नंदकुमार, एन. कृष्ण कुमार, के. कृष्ण कुमार, सारद कुमार सिंघानिया, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री पल्लवी लंगर, जयवीर शेरगिल, अमित गोयल, राजेश शर्मा, सुश्री निधि सिंह दुबे, शफीक खान, सुश्री शालू शर्मा, आर. सतीश कुमार, वी. सुशीता, पी. वी. योगेश्वरन, रामेश्वर प्रसाद गोयल, एस. नंदा कुमार, आर. सतीश कुमार।

कुमार, प्रवीण महाजन, अर्जुन कृष्णन, अंकुर सिंह, सुमित श्रीवास्तव, कौस्तव सोम, सुश्री गीतांजलि कपूर, एंटनी जूलियन, अर्पित शुक्ला, उदयन वर्मा, सर्वेश मिश्रा, अमित शर्मा, राज बहादुर, सुश्री अनिल कटियार, केदार नाथ त्रिपाठी, गिरिजा बल्लव दास, बीबी प्रधान, गौरव अग्रवाल, मनन वर्मा, सुश्री दीक्षा राय, सुश्री पलक महाजन, कुलजीत रावल, अश्विनी कुमार, सुश्री इति शर्मा, प्रदीप अग्रवाल, करण खन्ना, अनिकेत भट्टाचार्य, अर्जुन अग्रवाल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे. 1. ये सभी अपीलें प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद 'कॉम्पैट' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित 20 दिसंबर, 2013 के आदेशों के खिलाफ दायर की गई हैं। सी. ओ. एम. पी. ए. टी. ने उक्त निर्णय के माध्यम से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संक्षेप में, 'सी. सी. आई.') के निष्कर्षों को बरकरार रखा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (संक्षेप में, 'आई. ओ. सी. एल.') को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल. पी. जी.) सिलेंडरों के अपीलकर्ता/आपूर्तिकर्ता कार्टिलाइजेशन में लिप्त थे, जिससे कीमतों को प्रभावित और हेरफेर किया गया था।

इस प्रकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 (3) (डी) के प्रावधानों का उल्लंघन (संक्षेप में, 'अधिनियम')। परिणामस्वरूप, सी. सी. आई. ने अधिनियम की धारा 27 के तहत जुर्माने के रूप में गंभीर दंड लगाया। [2018] 12 एस. सी. आर. को बनाए रखते हुए।

सी. सी. आई. के आदेश में जहां तक अपीलकर्ताओं को धारा 3 (3) (डी) के उल्लंघन का दोषी पाया गया है और अधिनियम की धारा 3 (3) (ए) के तहत भी, सी. ओ. एम. पी. ए. टी. ने जुर्माने की राशि को कम कर दिया है। इन आपूर्तिकर्ताओं ने

तत्काल अपील इस आधार पर दायर की गई कि कोई कार्टिलाइजेशन नहीं था और उन्होंने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है। दूसरी ओर, सी. सी. आई. ने आदेश के बाद के हिस्से को चुनौती देते हुए अपील भी की है, जिसमें आपूर्तिकर्ताओं पर लगाए गए दंड को कम किया गया है। सुविधा के लिए इन आपूर्तिकर्ताओं को इसके बाद अपीलकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

भारत में तीन तेल कंपनियों, आई. ओ. सी. एल., भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी. पी. सी. एल.) और आई. ओ. सी. एल. द्वारा उपयोग के लिए आवश्यक 14.2 कि. ग्रा. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच. पी. सी. एल.) [सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ]। यह भी रिकॉर्ड की बात है कि उपरोक्त तीन कंपनियों के अलावा इन सिलेंडरों के लिए कोई अन्य खरीदार नहीं हैं।

अपीलार्थियों द्वारा निर्मित। जहां तक आई. ओ. सी. एल. का संबंध है, यह एल. पी. जी. में एक प्रमुख बाजार खिलाड़ी है क्योंकि इसकी बाजार हिस्सेदारी 48 प्रतिशत है। इस प्रकार, यदि कोई विशेष निर्माता उपरोक्त तीन कंपनियों को अपने सिलेंडरों की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है, तो इन सिलेंडरों के लिए कोई अन्य बाजार नहीं है और यह उस कंपनी को अपने संचालन से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर सकता है। हम इस स्तर पर यह भी बता सकते हैं कि 47 कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। सी. सी. आई. ने दो कंपनियों को बरी कर दिया और पाया कि आई. ओ. सी. एल. द्वारा जारी निविदाओं के अनुसार बोलियों के विवरणों के संबंध में 45 कंपनियों ने एक व्यवस्था/समझौता किया था। इन 45 कंपनियों में से एक ने सी. ओ. एम. पी. ए. टी. के समक्ष आदेशों को चुनौती नहीं दी और अन्य 44 ने

दायर की गई अपील जिनका निर्णय सी. ओ. एम. पी. ए. टी. द्वारा किया गया है।

3. सी. सी. आई. द्वारा जिस तरह से जांच की गई, जिसकी परिणति अपराध का पता लगाने और जुर्माना लगाने में हुई, उसे सी. ओ. एम. पी. ए. टी. द्वारा अपने विवादित आदेश में संक्षिप्त और क्रमिक रूप से दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त तथ्यात्मक वर्णन के बारे में कोई विवाद नहीं है, इसलिए COMPAT द्वारा दर्ज की गई उक्त चर्चा को उधार लेना सुविधाजनक होगा।

4. सी. सी. आई. ने 2010 के मामले संख्या 10 में प्राप्त सूचना के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की थी। पंकज गैस सिलेंडर लिमिटेड बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड उस मामले में मेसर्स द्वारा शिकायत की गई थी। सी. सी. आई. के समक्ष पंकज गैस सिलेंडर ने आई. ओ. सी. एल. राजस्थान सिलेंडर और कंटेनर लिमिटेड द्वारा जारी निविदा में अनुचित शर्तों के बारे में शिकायत की।

105 लाख 14.2 किलोग्राम की आपूर्ति के लिए। एस. सी. क्षमता वाले एल. पी. जी. सिलेंडर

वर्ष 2010-11 में वाल्व, निविदा संख्या एलपीजी-ओ/एम/पीटी-03/09 10 है। 2010 के मामले संख्या 10 में महानिदेशक की जांच रिपोर्ट पर विचार करते हुए, सी. सी. आई. ने धारा 18 के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए महसूस किया कि उन सभी बोलीदाताओं के मामले में जांच आवश्यक थी जो 14.2 किलोग्राम के आपूर्तिकर्ता थे। उस निविदा में एलपीजी सिलेंडर। उक्त मामले की जांच रिपोर्ट में महानिदेशक ने उल्लेख किया था कि 63 में से निविदा में भाग लेने वाले बोलीदाता, 50 बोलीदाता मूल्य बोली खोलने के लिए योग्य थे, जबकि 12 बोलीदाता नए विक्रेताओं के रूप में योग्य थे जिन्हें मूल्य बोली जमा करने की आवश्यकता नहीं थी और एक बोलीदाता मूल्य बोली खोलने के लिए योग्य नहीं था। विषय निविदा की तकनीकी बोली 3.3.2010 पर खोली गई थी और 50 योग्य बोलीदाताओं की मूल्य बोलियां 23.3.2010 पर खोली गई थीं। महानिदेशक के अनुसार, विभिन्न राज्यों के लिए मूल्य बोलियां जमा करने वाले सभी 50 बोलीदाताओं द्वारा बोलियों में एक समान पैटर्न था। विभिन्न राज्यों के लिए बड़ी संख्या में दलों की बोलियां बिल्कुल समान या लगभग समान थीं। महानिदेशक ने देखा था कि बोली लगाने की प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए बोलीदाताओं के बीच किसी प्रकार के समझौते और समझ के मजबूत संकेत थे।

इसी आधार पर सी. सी. आई. ने मामले में आगे की जांच के निर्देश दिए। महानिदेशक ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद प्रस्तुत किया कि

सी. सी. आई. को विस्तृत जांच रिपोर्ट। सी. सी. आई. द्वारा नए आदेशित जाँच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, उसने निर्देश दिया कि रिपोर्ट की एक प्रति पक्षों को उनकी आपत्तियाँ मांगने के लिए भेजी जाए। कुल मिलाकर, 44 विरोधी दलों ने अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत कीं। उन्हें सुनवाई का अवसर देने के बाद, सी. सी. आई. ने विचाराधीन आदेश पारित किया।

महानिदेशक की रिपोर्ट के अनुसार, निविदा में आई. ओ. सी. एल. द्वारा बोली लगाने की प्रक्रिया निम्नानुसार थीः

i) बोली लगाने वाले बोली के साथ अपने उद्धरण प्रस्तुत करेंगे।

दस्तावेज़। ii)
मौजूदा बोलीदाता, जो मौजूदा आपूर्तिकर्ता थे, की आवश्यकता थी।

मूल्य बोलियाँ और तकनीकी बोलियाँ प्रस्तुत करना।

(iv) मूल्य बोलियां खोले जाने के बाद बोलीदाताओं की व्यवस्था की गई थी। एल-1, एल-2 और एल-3 की श्रेणियों में दरों के अनुसार।

v) एल-1 बोलीदाता के साथ बातचीत के बाद विभिन्न राज्यों में आपूर्ति की दरों को मंजूरी दी गई थी। यदि एल-1 बोलीदाता किसी विशेष राज्य में आवश्यक संख्या में सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं कर सकता है, तो आपूर्ति के आदेश एल-2 और एल-3 बोलीदाता को भी दिए जाते हैं या इसी तरह निश्चित सूत्र के अनुसार उस राज्य में आवश्यकता के आधार पर। बोली दस्तावेजों में प्रदान किया गया।

vi) कुछ बोलीदाताओं को नया पक्ष कहा जाता था। उन्हें केवल तकनीकी बोलियां जमा करने और एल-1 दरों के अनुसार आपूर्ति करने की आवश्यकता थी

बातचीत के बाद तय किया गया।
vii) एक बोलीदाता अधिकतम आठ राज्यों के लिए बोली लगा सकता है।

7. बोलियों का विश्लेषण करने के बाद महानिदेशक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आई. ओ. सी. एल. को आपूर्ति करने के लिए 50 बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत मूल्य बोलियों में न केवल पैटर्न की समानता थी, बल्कि बड़ी संख्या में दलों की बोलियां बिल्कुल समान थीं या विभिन्न राज्यों में लगभग समान थीं। यह भी पाया गया कि बोली लगाने वाले, जो उसी से संबंधित थे

समूह ने समान दरें प्रस्तुत की होंगी। यह पाया गया कि न केवल समूह की संस्थाओं के मामले में समान मूल्य निर्धारण था, बल्कि समूह से संबंधित नहीं अन्य संस्थाओं की दरें भी समान पाई गईं। डी. जी. ने बड़ी मेहनत से समूह कंपनियों के साथ-साथ गैर-समूह कंपनियों के नाम भी लिखे। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी 37 संस्थाओं को किसी एक समूह से संबंधित नहीं कहा जा सकता है और वे थे

स्वतंत्र रूप से नियंत्रित। महानिदेशक को यह असामान्य लगा कि असंबंधित फर्मों ने विभिन्न राज्यों में समान दरों का हवाला दिया था। डी. जी. ने सभी 25 राज्यों के लिए विभिन्न दलों के लिए बोली पैटर्न का विश्लेषण किया था। उन्होंने पाया किः

ए। सभी 50 सफल बोलीदाताओं को आदेश दिए गए थे।

बी। अनुबंध उन बोलीदाताओं के समूह को दिए गए थे जिन्होंने एक विशेष पैटर्न में समान दरों या लगभग समान दरों का हवाला दिया था।

सी। राज्य के आधार पर उद्धरण के लिए एक सामान्य पैटर्न था। पूर्वोत्तर के मामले में दरें सबसे अधिक थीं, जो रु। 1240 जबकि अन्य दरों के मामले में Rs.1100, Rs.1127 और रु. 1151 .

डी। यह पाया गया कि केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए एक ही पक्ष था जिसने एल-1 दर का हवाला दिया था और औपचारिक राजस्थान सिलेंडर और कंटेनर्स लिमिटेड v प्राप्त किया था।

भारत और एक अन्य का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]

अनुबंध। अन्य राज्यों में अनुबंध एक समूह में प्राप्त किए गए थे समान या लगभग समान दरों का आधार।

ई. दरों में समानता उन बोलीदाताओं के मामले में भी पाई गई जिनके कारखाने और कार्यालय राज्यों में एक ही स्थान पर स्थित नहीं थे और जहां उन्हें आपूर्ति करने की आवश्यकता थी

अलग-अलग स्थानों पर स्थित उनके कारखानों से दूर।

8. डी. जी. ने आगे पाया था कि हालांकि बाजार की स्थिति और कंपनियों की छोटी संख्या जैसे कारक अलग थे, लेकिन एक

बोली लगाने वाले दलों के बीच बड़े पैमाने पर मिलीभगत। उन्होंने यह भी पाया कि एल. पी. जी. सिलेंडर निर्माताओं ने भारतीय एल. पी. जी. सिलेंडर निर्माता संघ के नाम पर एक संघ का गठन किया था और सदस्य इस संघ के माध्यम से बातचीत कर रहे थे और एक मंच के रूप में इसका उपयोग कर रहे थे। संबंधित निविदा के मामले में बोलियां जमा करने की तारीख आई. डी. 1 थी और उससे ठीक दो दिन पहले मुंबई के होटल सहारा स्टार में 1 और 2 मार्च, 2010 को दो बैठकें आयोजित की गई थीं। कम से कम 19 पक्षों ने भाग लिया और निविदा पर चर्चा की और सभी संभावनाओं में, एक दूसरे के साथ मिलीभगत से वहां कीमतें तय की गईं। डी. जी. ने बताया कि बोली लगाने वाले क्षेत्रों के आवंटन के लिए सहमत हुए थे, उदाहरण के लिए, पश्चिमी भारत के लिए बोली लगाने वाले बोलीदाताओं ने आम तौर पर पूर्वी भारत के लिए बोली नहीं लगाई थी और बड़े पैमाने पर बोली लगाने वाले जिन्होंने उत्तर भारत में समूह में सबसे कम बोली लगाई थी, उन्होंने आम तौर पर दक्षिण भारत में बोली नहीं लगाई थी। डी. जी. ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि यह व्यवहार

प्रवेश बाधा उत्पन्न की और यह कि उपभोक्ताओं के लाभों का कोई संचय नहीं था और न ही माल के बेहतर उत्पादन या वितरण या सेवाओं के प्रावधान जैसे कोई प्लस कारक थे।

9. अंततः, डी. जी. इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बोली लगाने वालों की ओर से एक गुट जैसा व्यवहार था और इसके कारक थे

कार्टेल के गठन के लिए आवश्यक तत्काल मामले में मौजूद था। यह भी पाया गया कि निश्चित रूप से बोलीदाताओं की ओर से ठोस कार्रवाई करने का आधार था। डी. जी. ने यह भी नोट किया था कि वर्ष 2009-10 और उससे पिछले वर्षों के लिए उद्धृत दरें भी कुछ मामलों में समान थीं। इस प्रकार, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वर्ष 2010-11 के लिए बोलियों में 50 प्रतिभागी बोलीदाताओं द्वारा हेरफेर किया गया था। यह था।

इसके बाद सी. सी. आई. ने डी. जी. की जांच रिपोर्ट देने का फैसला किया।

संबंधित पक्षों को सूचित करें और उनकी आपत्तियां आमंत्रित करें।

10. एक सामान्य जवाब दाखिल किया गया और साथ ही व्यक्तिगत जवाब भी दिए गए। इस पर विचार करने के बाद, सी. सी. आई. ने निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए: संकल्पः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" क्या भाग लेने वाले बोलीदाताओं के बीच कोई सांठगांठ वाला समझौता था जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2010 में आई. ओ. सी. एल. द्वारा जारी निविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धांधली हुई। 14. 2 किलोग्राम की खरीद। अधिनियम की धारा 3 (1) के साथ पठित धारा 3 (3) (डी) के उल्लंघन में एलपीजी सिलेंडर?

11. मौखिक के साथ-साथ लिखित प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, सी. सी. आई. ने सिलेंडर निर्माताओं के खिलाफ मुद्दे का जवाब दिया और

वर्तमान अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड। अपने विवादित आदेश में, मुद्दे का निर्धारण करते समय, सी. सी. आई. ने पहली बार में, 44 विरोधी पक्षों द्वारा दायर डी. जी. की रिपोर्ट के सामान्य जवाबों पर विचार किया। कमोबेश यह दलील दी गई थी कि एलपीजी सिलेंडर के प्रत्येक हिस्से को विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है और इस्पात की कीमत कुल विनिर्माण लागत का 50 प्रतिशत है। पेंट की कीमत, यह एक आवश्यक कच्चा माल है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग करों सहित ये सभी कारक बोलीदाताओं के समग्र बोली पैटर्न को निर्धारित करते हैं। पैरा-5.2 में। 3 आम आपत्ति में, यह जोड़ा गया कि इन 44 दलों ने अपनी ओर से अपनी बोलियां जमा करने के लिए छह एजेंटों को नामित किया था और यह आम प्रथा थी

बोलीदाता अपने एजेंटों को किसी विशेष राज्य के संबंध में अपने प्रतिद्वंद्वियों द्वारा दी जाने वाली दरों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश देते हैं और इससे किसी विशेष राज्य में कई आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मूल्य बोलियों में उद्धृत दरों की नकल करने और मिलान करने की संभावना पैदा होती है, जिन्होंने सामान्य एजेंट नियुक्त किए होंगे। इस कारण से, महानिदेशक ने विचाराधीन निविदा के लिए मूल्य बोलियों में कटौती और अधिक-लेखन पर ध्यान दिया।

12. यह भी बताया गया कि पूरे देश में केवल 62 योग्य निविदाकार थे, जिनमें से 12 निविदाकारों को नए पक्षों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसका अर्थ है कि उन्होंने पिछले तीन वर्षों में सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की थी और उन्हें निविदा में बोली लगाने की आवश्यकता नहीं थी। इनमे से

शेष 50 बोलीदाता, एकल द्वारा नियंत्रित समूह कंपनियाँ थीं प्रबंधन।

13. सी. सी. आई. ने अपने विस्तृत आदेश में दायरे पर विचार करना शुरू किया

बोली में धांधली के समझौते और गुट का निर्माण। इसमें सी. सी. आई. ने पक्षकारों के बीच समझौते की शांत और गुप्त प्रकृति के संबंध में आर. आर. टी. ए. बनाम डब्ल्यू. एच. स्मिथ एंड संस लिमिटेड के मामले में लॉर्ड डेनिंग की 18 प्रसिद्ध टिप्पणियों पर भी विचार किया। सी. सी. आई. ने तब अपने निष्कर्ष को दर्ज करते हुए कहा कि समझौते का तत्व था और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार किया। वे इस प्रकार हैं:

1. बाजार की स्थिति

2. आपूर्तिकर्ताओं की कम संख्या

3. कुछ नए प्रवेशक

4. सक्रिय व्यापार संघ

5. बार-बार बोली लगाना

6. समान उत्पाद

7. कम या कोई विकल्प नहीं

8. कोई महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन नहीं
9. मुंबई में बोलीदाताओं की बैठक और इसका एजेंडा।

10. आम एजेंटों की नियुक्ति
11. अलग-अलग लागत के बावजूद समान बोलियां।

14. इन कारकों पर विचार करने के बाद, सी. सी. आई. इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसने मिलीजुली बोली का सुझाव दिया था। इसके बाद, सी. सी. आई.

प्रत्येक राज्य के लिए इन बोलियों का विश्लेषण किया और पाया कि सभी 50 भाग लेने वाले बोलीदाताओं ने आदेश प्राप्त कर लिया था; कि आदेश उक्त 50 बोलीदाताओं पर रखे गए थे जिन्होंने सभी पक्षों के लिए एक विशेष पैटर्न में समान दरों या लगभग समान दरों का हवाला दिया था। सी. सी. आई. ने व्यावसायिक औचित्य के अभाव के तथ्यों पर भी प्रकाश डाला। सी. सी. आई. के अनुसार, सामग्री से पता चला कि आपूर्ति अधिक लागत पर की गई थी।

प्रमाण के मानकों और प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव की अवधारणाओं पर चर्चा करने के बाद, सी. सी. आई. ने विभिन्न तर्कों पर विचार किया और उन तर्कों को खारिज कर दिया। सी. सी. आई. ने तब मामले के कानून पर विचार किया, और विशेष रूप से भारत संघ बनाम हिंदुस्तान विकास निगम 1 में इस न्यायालय के फैसले पर विचार किया। इसने अलग-अलग पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों को भी ध्यान में रखा और फिर मेसर्स के उन मामलों को दर्ज करने के लिए आया। जे. बी. एम. इंडस्ट्रीज और पंजाब सिलिंडर हालांकि असाधारण थे और उन्हें दोषमुक्त किया जा सकता था। इसके बाद सी. सी. आई. चला गया।

अधिनियम की धारा 27 के तहत दंड कारक तय करने के लिए।

15. सी. सी. आई. के निष्कर्षों पर चर्चा करने और सी. सी. आई. के समक्ष पेश किए गए अपीलार्थियों के तर्कों पर भी ध्यान देने के बाद, सी. ओ. एम. पी. ए. टी. अपनी चर्चा के साथ आगे बढ़ा। इसने मामले के स्वीकृत तथ्यों के साथ शुरुआत की और निम्नलिखित ऐसे तथ्यों पर ध्यान दिया:

(ख) सिलेंडर निर्माताओं का एक संघ है। एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले कुछ दलों को छोड़कर सभी दलों ने कहा कि वे वे उस संघ के सदस्य नहीं थे। कुछ अपीलार्थियों ने एक कमजोर तर्क भी दिया कि हालांकि वे सदस्य थे लेकिन वे इसके सक्रिय सदस्य नहीं थे। कुछ अपीलकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि उन्होंने बाद के वर्षों में सदस्यता का योगदान नहीं देकर सदस्यता को छोड़ दिया था। हालाँकि, अपीलकर्ता इस स्थिति से इनकार नहीं कर सके कि इंडियन एलपीजी सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स नामक एक संघ था।

एसोसिएशन। यह एक पंजीकृत संघ था, इसके संगठन के ज्ञापन में यह प्रावधान किया गया था कि इसका एक उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर निर्माताओं के सामान्य हित और कल्याण को बढ़ावा देना था। COMPAT के अनुसार, सभी सिलेंडर निर्माताओं के लिए एक निश्चित मंच उपलब्ध था और व्यावहारिक रूप से सभी आवेदनकर्ता उस संघ के सदस्य प्रतीत होते हैं।

(ग) 44 पक्षों द्वारा एक सामान्य लिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने अपनी ओर से बोलियां जमा करने के लिए छह एजेंटों को नामित किया था। इन आम एजेंटों को किसी विशेष राज्य में प्रतियोगियों द्वारा उद्धृत मूल्य पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया था।

जशन सिलेंडर्स एंड कंटैनर्स लिमिटेड v. भारत और एक अन्य का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]

हालांकि कुछ अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया था कि उन्होंने सामान्य एजेंटों को नियुक्त नहीं किया था, लेकिन COMPAT द्वारा याचिका को स्वीकार नहीं किया गया था। COMPAT, इसलिए, आगे बढ़ा

' इस आधार को स्वीकार किया कि बेलन निर्माताओं का एक संघ था; व्यावहारिक रूप से सभी अपीलकर्ता उक्त संघ के सदस्य थे; यह संघ एक सक्रिय संघ था; इसने प्रवेश निविदा की पूर्व संध्या पर स्पष्ट रूप से चर्चा करने के लिए बैठकें आयोजित कीं।

निविदाएं, इसकी शर्तें आदि। ; इन बैठकों में भाग लिया

कम से कम 19 अपीलार्थियों के प्रतिनिधि; और इन अपीलार्थियों के मुंबई में छह सामान्य एजेंट थे जिन्हें दूसरों द्वारा दी गई कीमतों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया था। एक रात्रिभोज बैठक के साथ-साथ दोपहर का भोजन भी आयोजित किया गया और एक मेसर्स के श्री चंडी प्रसाद भरतिया। हल्दिया प्रिसिजन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इसके लिए बिल का भुगतान किया। सहारा होटल में आयोजित रात्रिभोज और दोपहर के भोजन में लगभग 50 लोगों ने भाग लिया।

सब में। इससे COMPAT ने अनुमान लगाया कि कोई नहीं था

लोग

यह विश्वास न करने का कारण है कि पार्टियों की अपने संघ के माध्यम से एक-दूसरे तक पहुंच थी जो एक सक्रिय संघ था। निविदा जमा करने से ठीक पहले जिन संघों की बैठकें हुई थीं, उनके अस्तित्व को गुटबंदी पर सी. सी. आई. के निष्कर्षों की पुष्टि करने में सी. ओ. एम. पी. ए. टी. द्वारा एक बहुत ही प्रासंगिक कारक के रूप में नोट किया गया है और इसने निम्नलिखित तरीके से स्थिति का सारांश दिया है:

" 26. महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि क्या कोई विशेष अपीलार्थी है

एसोसिएशन का सदस्य था या नहीं। एक संघ का अस्तित्व अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि यह प्रतियोगियों को एक-दूसरे के साथ बातचीत करने और व्यापार समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर देता है। यह साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी कि कोई भी पक्ष

निश्चित रूप से यह इस तथ्य की ओर एक संकेत है कि इस तरह के दल का अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ एक मौन समझौता था। हालांकि, एक का अस्तित्व प्रस्ताव देने की अंतिम तिथि से केवल एक या दो दिन पहले बैठकों का आयोजन और आगे

यह स्वीकार करना कि पार्टियों ने सामान्य एजेंटों को निर्देश के साथ नियुक्त किया था कि वे उद्धृत कीमतों पर नजर रखें

प्रतियोगियों को पार्टियों के बीच समझौते के पक्ष में प्लस कारक प्रदान करने में एक लंबा रास्ता तय करना होगा। ये सभी कारक एक बैक ड्रॉप का निर्माण करेंगे, जिसके आलोक में, आगे [2018] 12 एस. सी. आर.

समझौते के बारे में साक्ष्य की सराहना करनी होगी। हमने महानिदेशक की टिप्पणियों के साथ-साथ सी. सी. आई. के निष्कर्ष भी देखे हैं। हम इस बात से आश्वस्त हैं कि सी. सी. आई. ने इन सभी कारकों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अतिरिक्त कारकों के रूप में विचार करने में कोई त्रुटि नहीं की है कि पक्षों के बीच एक ठोस समझौता हुआ था जिसके आधार पर 25 राज्यों को सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए निविदाओं में समान या लगभग समान कीमतों का उल्लेख किया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए, हमें कुछ अपीलार्थियों के व्यक्तिगत दावों पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है कि वे संघ के सदस्य नहीं थे या कि वे केवल निष्क्रिय सदस्य थे या कि उन्होंने अपनी सदस्यता का त्याग कर दिया था। हमें इस दावे पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है कि बैठक में 19 पक्षों ने भाग लिया था जैसा कि डी. जी. द्वारा आयोजित किया गया था और सी. सी. आई. द्वारा पुष्टि की गई थी, लेकिन इसमें बाकी अपीलकर्ताओं ने भाग नहीं लिया था क्योंकि इसका कोई परिणाम नहीं होगा। एक बार जब कोई बैठक होती थी, तो बैठक में जो कुछ भी हुआ, उस पर चर्चा करने या एक-दूसरे से संवाद करने का हर अवसर होता था।

27. हमने सी. सी. आई. के आदेश को देखा है और बैठक के बारे में टिप्पणी करते हुए सी. सी. आई. ने उस बैठक के विवरण को बड़ी मेहनत से नोट किया है। सी. सी. आई. ने श्री दिनेश गोयल के साक्ष्य का उल्लेख किया है, जो इंडियन एल. पी. जी. सिलिंडर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे और उन्होंने कहा कि

बैठक में भाग लिया। उन्होंने कार्बैक समूह के श्री संदीप भरतिया के बयान का भी उल्लेख किया है, हालांकि शुरू में उन्होंने सम्मेलन आयोजित करने से इनकार किया था, बाद में उन्होंने पुष्टि की थी कि ऐसा सम्मेलन कार्बैक समूह के श्री संदीप भरतिया के साथ आयोजित किया गया था। सी. सी. आई. ने यह भी नोट किया कि उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसी बैठकों में बोली से पहले के मुद्दों पर चर्चा हुई थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि हालांकि लगभग 50 प्रतियोगी हैं, वास्तव में लगभग 25 व्यक्ति पूरे मामले को नियंत्रित करते हैं। इस साक्ष्य से सी. सी. आई. ने सही निष्कर्ष निकाला कि उस बैठक में बोली से पहले के मुद्दों पर चर्चा की गई थी। सी. सी. आई. ने तब श्री मनविंदर सिंह के साक्ष्य का उल्लेख किया है।

भिवाड़ी सिलेंडर लिमिटेड, श्री चंडी प्रसाद भरतिया हल्दिया प्रिसिजन इंजीनियरिंग पी. लिमिटेड, एस. एम. शुगर प्राइवेट के श्री विजय कुमार अग्रवाल। श्री एस. कुलन्धाईस्वामी, लाइट कंटेनर प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक। लिमिटेड और एसोसिएशन के सचिव, श्री.

इस प्रकार बैठक के आयोजन, उसमें आयोजित चर्चा और इसके बारे में चर्चा के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त किया गया
उस बैठक में बोली लगाने से पहले का मुद्दा उठाया गया था।

16. इसके बाद COMPAT ने इस तर्क पर चर्चा की।

अपीलकर्ताओं के बारे में कि सी. सी. आई. को आई. ओ. सी. एल. से भी पूछताछ करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। एक अन्य महत्वपूर्ण तर्क जिसका हमारे सामने भी बहुत जोर देकर प्रचार किया गया था, वह यह था कि यह एक अल्पाधिकारवादी बाजार था जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी के दूसरे के कार्यों के बारे में जागरूक होने की संभावना थी और ऐसी स्थिति में मूल्य समानता एक सामान्य घटना होगी। इस प्रकार, केवल इसलिए कि मूल्य में अस्थिरता थी, इसे मिलीभगत के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा। COMPAT ने भी इस तर्क को खारिज कर दिया। इस प्रक्रिया में, इसने सी. सी. आई. के क्रम का विश्लेषण किया,

जिसका निष्कर्ष निम्नलिखित कारकों पर आधारित थाः

(1) बाजार की मौजूदा स्थिति ऐसी थी कि न केवल आई. ओ. सी. एल. बल्कि दो अन्य तेल उत्पादक कंपनियों द्वारा भी सिलेंडरों की लगातार मांग की जा रही थी। इसलिए, सिलेंडरों की निरंतर आवश्यकता थी जो इसके लिए कारक को सुविधाजनक बनाती थी

सांठगांठ।

(2) आपूर्तिकर्ताओं की संख्या कम थी। 50 में से भाग लेने वाली कंपनियों में, केवल 37 कंपनियों को स्वतंत्र बोली लगाने वाली कंपनियां कहा जा सकता है और 20 भाग लेने वाली कंपनियों के सात समूह थे। यह छोटी संख्या

आपूर्तिकर्ताओं को भी एक सुविधा कारक होना चाहिए।

(3) बहुत कम नए प्रवेशक थे। (4) एक सक्रिय व्यापार संघ का अस्तित्व जिसमें सात कंपनियों को छोड़कर सभी बोलीदाता सदस्य थे, एक अन्य सुविधाजनक कारक होगा।

(5) कुछ अन्य कारक जैसे दोहराए जाने वाली बोली, समान उत्पाद, कुछ या कोई विकल्प नहीं और कोई महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन नहीं।

ये अतिरिक्त कारक थे जिन्होंने सी. सी. आई. को इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए राजी किया।

(6) इन विनिर्माण कंपनियों के कारखाने भारत में अलग-अलग स्थानों पर थे, जहां कलपुर्जों की लागत अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती थी। यहाँ तक कि कर संरचना, श्रम की स्थिति और बिजली की लागत आदि जैसे अन्य कारक भी बाध्य थे।

अलग-अलग। फिर भी उद्धृत कीमतें लगभग समान थीं।

(7) उपरोक्त विचारों पर, अपीलार्थियों के बचाव को अविश्वसनीय के रूप में खारिज कर दिया गया था, जिससे सी. सी. आई. द्वारा विचार किए गए कारकों से गुजरना पड़ा।

17. सी. ओ. एम. पी. ए. टी. के अनुसार ये सभी तब तक संभव नहीं हो सकते थे जब तक कि अपीलार्थियों के बीच आंतरिक समझौते नहीं होते। सी. ओ. एम. पी. ए. टी. ने सी. सी. आई. के इस निष्कर्ष को मंजूरी दे दी है कि मिलीभगत के कारण आई. ओ. सी. एल. को कम या प्रतिस्पर्धी मूल्य नहीं मिल सके। 2010-2011 में उद्धृत दरें 2009-10 में उद्धृत दर की तुलना में अधिक थीं। वर्ष 2006-07 से, विभिन्न राज्यों में आपूर्ति करने के लिए सामूहिक रूप से औसतन 30 प्रतिशत की कीमतें बढ़ाई गई थीं। 18. सी. ओ. एम. पी. ए. टी. के अनुसार, सी. सी. आई. का यह निष्कर्ष सही था कि एल. पी. जी. सिलेंडर निर्माताओं के आचरण के रूप में प्रतिस्पर्धा पर इसका सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

मंच और बोली की कीमतों को तय करना यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी नया खिलाड़ी संबंधित बाजार में प्रवेश न कर सके और स्वतंत्र रूप से कीमतों को उद्धृत न कर सके। इस प्रकार, ये निर्माता संबंधित बाजार में एक नए खिलाड़ी के प्रवेश को कठिन बना देंगे, क्योंकि ऐसे नए खिलाड़ी को अनिवार्य रूप से पहले प्रवेश करना होगा।

बाजार में प्रवेश में बाधा डालते हुए प्रतिस्पर्धा को रोक देना। 19. इसने अपीलार्थियों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि जब आई. ओ. सी. एल. बातचीत की गई दरों के आधार पर आदेश दे रहा था तो ऐसा नहीं हो सकता था।

मिलीभगत के लिए प्रोत्साहन की संभावना। इसके अनुसार, जहां दरें तय की जाती हैं, वहां भी बड़ी राशि को पूर्व निर्धारित स्तर पर रखने के लिए बोली में धांधली की जा सकती है। इस तरह का पूर्व-निर्धारण बोली लगाने वाले समूह के सदस्यों द्वारा जानबूझकर हेरफेर के माध्यम से किया जा सकता है और जहां एल-1 दरें स्वयं उच्च स्तर पर वर्तमान मामले की तरह तय हो जाती हैं, भले ही कोई विवाद हो, वार्ताकारों को राजस्थान के संकेतकों और साझेदारों की सीमा को ध्यान में रखना होगा।

अवधि। 20. सी. ओ. एम. पी. ए. टी. ने धारा 3 के प्रावधानों पर भी ध्यान दिया, जिसके अनुसार एक बार समझौता साबित होने के बाद समझौते के केवल प्रमाण पर प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव के बारे में एक अनुमान है। इस प्रकार, दूसरी तरफ यह साबित करने की जिम्मेदारी बदल जाती है कि

सी. ओ. एम. पी. ए. टी. के अनुसार अपीलार्थियों द्वारा आरोपमुक्त नहीं किया गया था। इसके बाद सी. ओ. एम. पी. ए. टी. ने अपने मामलों के लिए विशिष्ट कुछ वकीलों की कुछ दलीलों पर ध्यान दिया, लेकिन उनमें कोई सार नहीं पाया।

21. प्रासंगिक प्रावधानों की जांच करने के बाद, जिन पर ये अपीलें केंद्रित हैं, हम उन तर्कों पर ध्यान देते हैं जो अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विभिन्न वकीलों द्वारा दिए गए थे और जिस तरह से उत्तरदाताओं ने उन्हें पूरा करने का प्रयास किया था।

22. सुश्री माधवी दीवान, अपील में उपस्थित विद्वान वकील

राजस्थान सिलिंडर्स एंड कंटेनर्स लिमिटेड द्वारा दायर याचिका ने उस आधार और आधार पर हमला किया जिसके आधार पर सी. सी. आई. इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ताओं द्वारा बोली में धांधली के उद्देश्य से एक समझौता या गुटबंदी की गई थी। उन्होंने अपने मामले को निम्नलिखित तीन प्रस्तावों पर आधारित किया:

(i) सिलेंडर निर्माताओं के बाजार की अंतर्निहित प्रकृति

स्वयं प्रतिस्पर्धा की संभावना को रोकता है;
((ii) वैकल्पिक रूप से, कोई सांठगांठ वाला समझौता या बोली-धांधली नहीं है।

वर्तमान मामला; और

(iii) इसके अलावा, वैकल्पिक रूप से, यह मानते हुए भी कि वर्तमान मामले में कोई मिलीजुली समझौता या बोली-धांधली है, कोई प्रावधान नहीं है। प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव।

23. पहले प्रस्ताव पर, सुश्री दीवान द्वारा विकसित तर्क यह था कि अधिनियम प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है, जिसका अर्थ यह होगा कि बाजार में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। एक अनुरूप के रूप में, यदि ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, तो अधिनियम की धारा 3 (1) शुरू नहीं होती है। उनके अनुसार, तत्काल मामले में, तथ्य यह दिखाएगा कि आई. ओ. सी. एल. द्वारा एक कड़ा नियंत्रण और विनियमन था और इस प्रकार, यह बहुत सीमा पर प्रतिस्पर्धा की किसी भी गुंजाइश का नेतृत्व नहीं करता था। उन्होंने जोर देकर कहा कि मोनोप्सोनी/ऑलिगोप्सोनी की स्थितियां प्रबल थीं। मोनोप्सोनी/ऑलिगोप्सोनी के अस्तित्व के लिए, उन्होंने [2018] 12 एस. सी. आर. द्वारा प्रकाशित औद्योगिक संगठन अर्थशास्त्र और प्रतिस्पर्धा कानून की शब्दावली का उल्लेख किया।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ. ई. सी. डी.), जिसके अनुसार एक मोनोपसोनी में एकल खरीदार के साथ एक बाजार होता है। जब केवल कुछ खरीदार होते हैं, तो बाजार को एक के रूप में वर्णित किया जाता है ओलिगोप्सोनी। सामान्य तौर पर, जब खरीदारों का अपने निवेश की कीमत पर कुछ प्रभाव होता है तो उन्हें मोनोप्सोनी शक्ति कहा जाता है। किसी फर्म की कीमतें बढ़ाने की क्षमता, भले ही वह एकाधिकारवादी हो, मोनोप्सोनी या ऑलिगोप्सोनी खरीदारों द्वारा कम या समाप्त की जा सकती है। जिस हद तक निवेश की कीमतों को इस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, उपभोक्ता बेहतर हो सकते हैं।

24. उनके अनुसार, ये शर्तें तत्काल मामले में पर्याप्त रूप से मौजूद थीं। इस प्रस्ताव को अच्छा बनाने के अपने प्रयास में, वह अनुबंध के आसपास निम्नलिखित विशेषताओं और शर्तों को रेखांकित कियाः

(i) खरीदारों की अत्यधिक सीमित संख्या और इस विशेष प्रकार के बाजार के लिए-एकमात्र खरीदार, यानी आईओसीएल। आई. ओ. सी. एल. का बाजार हिस्सेदारी में 48 प्रतिशत का नियंत्रण है। एच. पी. सी. एल. और बी. पी. सी. एल. को छोड़कर 14.2 कि. ग्रा. गैस सिलेंडर का कोई अन्य खरीदार नहीं है।

निविदाएँ, जिनकी बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 26 प्रतिशत और 25 प्रतिशत है।

((ii) उत्पाद इस हद तक मानकीकृत और विशेष है कि इसे सरकार द्वारा और वहां भी सख्ती से नियंत्रित और विनियमित किया जाता है।

इसके लिए कोई अन्य खरीदार नहीं हैं।

((iii) बाजार में प्रवेश की बाधाएँ हैं। निविदा शर्तों के अनुसार, केवल वे निर्माता जिनके पास आईएस-3196 (भाग 1) के अनुसार 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर के निर्माण के लिए मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (सीसीओई) और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) लाइसेंस से वैध अनुमोदन है, वे निविदा के लिए बोलियां जमा कर सकते हैं।

(iv) यहां तक कि इस उत्पाद के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनरी भी विशेष है और यह अप्रचलित हो जाएगी और अगर आई. ओ. सी. एल. और

उपरोक्त दो खिलाड़ियों को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की आपूर्ति के अनुबंध को बंद करना था। उन्होंने बताया कि इसे स्वीकार किया गया था

डॉ. रुघवीर के. एस. खेमानी की विशेषज्ञ रिपोर्ट।

(v) निविदा की शर्तों में कहा गया है कि इसे बिना कारण बताए अस्वीकार किया जा सकता है। इसलिए, सबसे कम कीमत पवित्र नहीं है (अनुबंध का खंड 11)। (vi) एल 2 और एल 3 को भी अनुबंध दिए गए हैं, चाहे वे कुछ भी हों।

उन्होंने जो कीमत उद्धृत की है।
(vii) प्रभावी मूल्य की कोई पवित्रता नहीं है क्योंकि न केवल एल 2 और एल 3 को एल 1 के अलावा या उसके अपवर्जन में अनुबंध भी मिलते हैं, बल्कि इसके अलावा, जशन सिलेंडर और कंटेनर्स लिमिटेड v.

अंतिम बातचीत की कीमत निजी तौर पर निर्धारित की जाती है

व्यक्तिगत बोलीदाताओं के साथ बातचीत की जिसके लिए

बेंचमार्क उनके द्वारा उद्धृत कीमत नहीं बल्कि आंतरिक अनुमान है।

वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर आया।

(viii) अधिकांश राज्यों में, अंतिम बातचीत मूल्य आंतरिक अनुमान से कम दर पर तय किया गया था। आंतरिक अनुमान का एल 1 या किसी अन्य पक्ष द्वारा उद्धृत दरों के साथ कोई संबंध नहीं था। इस संबंध में उन्होंने बताया कि आईओसीएल ने ऐसा किया था अपने विशेषज्ञों के माध्यम से सिलेंडर की अनुमानित लागत का पता लगाने की कवायद। विशेषज्ञ द्वारा दी गई रिपोर्ट में, प्रति सिलेंडर अनुमानित लागत रु। 1106.61 पैसा प्रति सिलेंडर। इसके विपरीत, अंतिम बातचीत मूल्य जिस पर अपीलकर्ताओं ने आई. ओ. सी. एल. को सिलेंडरों की आपूर्ति की थी, बहुत कम था। उनके अनुसार, पूरी प्रक्रिया में मूल्य निर्धारण आई. ओ. सी. एल. द्वारा आंतरिक अनुमानों के आधार पर किया गया था जो अपीलकर्ताओं से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो सकता था। वास्तव में, निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद भी

आईओसीएल द्वारा संचालित या नियंत्रित, पूरी तरह से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है या तो मूल्य के निर्धारण या पार्टियों की पहचान के लिए जो

अनुबंध मिलेगा।

25. उन्होंने कहा कि ऐसी बाजार स्थितियों में जहां ऊर्ध्वाधर समझौते के कारण प्रतिस्पर्धी ताकतों या क्षैतिज खिलाड़ियों की कोई गुंजाइश नहीं है, क्षैतिज समझौतों के द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण का सवाल ही नहीं उठता है। एक खिलाड़ी के मैदान में प्रवेश करने से पहले भी कोई प्रतिस्पर्धा ई-बाजार नहीं है। इसलिए, पहला

धारा 3 के कार्यान्वयन के लिए आधार, अर्थात, एक अन्यथा प्रतिस्पर्धी बाजार की उपस्थिति अनुपस्थित है। सबूत का भार प्रत्यर्थी सी. सी. आई. पर है कि वह यह स्थापित करे कि बाजार में प्रतिस्पर्धा है, इससे पहले कि वह धारा 3 को लागू करने को उचित ठहरा सके। धारा 3 के तहत कोई स्वचालित धारणा नहीं है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा है।

26. उपरोक्त कारकों से, सुश्री दीवान ने यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश की कि मूल्य नियंत्रण पूरी तरह से आईओसीएल के हाथों में था और ऐसी स्थिति में इससे बोली में धांधली या सांठगांठ वाली बोली लगाने के उद्देश्य से कोई समझौता करने का सवाल ही नहीं उठा।

27. उन्होंने एल. पी. जी. (आपूर्ति और आपूर्ति विनियमन) का भी उल्लेख किया।

वितरण) आदेश, 2000 दिनांक 26 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किया गया है, जिसके अनुसार केवल सरकारी तेल कंपनियां ही घरेलू उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति कर सकती हैं। इसके बाद उनका कहना था कि 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडरों में एलपीजी की आपूर्ति एक आवश्यक वस्तु है; ऐसे सिलेंडरों का वितरण केवल सरकारी तेल कंपनियों के माध्यम से किया जाता है; उपभोक्ता को कीमत सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है; और समानांतर विपणक, एलपीजी सिलेंडरों के आपूर्तिकर्ता और वितरक 14.2 किलोग्राम सिलेंडरों के अलावा केवल सिलेंडरों और विनिर्देशों के लिए ऐसा कर सकते हैं। जहां तक 14.2 कि. ग्रा. गैस सिलेंडरों की आपूर्ति का संबंध है, सरकार का यह नियंत्रण मूल्य निर्धारण पर कड़ा नियंत्रण भी दिखाएगा। इस तरह के एक वैधानिक रूप से तंग में

नियंत्रण मूल्य निर्धारण तंत्र बोली में धांधली नहीं हो सकती थी, यह सुश्री दीवान की प्रस्तुति थी। उन्होंने अशोक स्मोकलेस कोल इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम में निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करके इस निवेदन का समर्थन किया। भारत संघ 2:

" 109. यह सच हो सकता है कि बाजार की ताकतों को ध्यान में रखते हुए कीमतें तय करने की आवश्यकता होती है। मूल्य निर्धारण के संबंध में मांग और आपूर्ति एक प्रासंगिक कारक है। मुक्त अर्थव्यवस्था द्वारा शासित बाजार में जहां प्रतिस्पर्धा एक प्रचलित शब्द है, उत्पादक अपनी कीमत खुद तय कर सकते हैं। हालाँकि, किसी राज्य के संवैधानिक दायित्वों और एक ही समय में एक मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने वाले सिद्धांतों को लागू करना मुश्किल है। नई अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए एक समान अवसर महत्वपूर्ण कारक है। इस तरह के समान अवसर तब प्राप्त किए जा सकते हैं जब कई आपूर्तिकर्ता हों और बाजार में प्रतियोगी हों जो उपभोक्ता को वस्तुओं की खरीद के उद्देश्य से विकल्पों का प्रयोग करने में सक्षम बनाते हैं। अगर

2 (2007) 2 एस. सी. सी. 640 जशन सिलेंडर्स एंड कंटेनर्स लिमिटेड v. भारत और एक अन्य का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]

खुले बाजार की नीति का लाभ प्राप्त किया जाना है

राज्य द्वारा उपभोक्ता को सर्वोपरि ध्यान में रखा जाना चाहिए।

XXX

XXX

XXX

127. के संदर्भ में एक उचित और उचित मूल्य तय करते समय

आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान (हालांकि कीमत दोहरी नहीं है), यह आवश्यक है कि कीमत वास्तव में तय हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोयला एक आवश्यक वस्तु है, इस तरह का मूल्य निर्धारण आवश्यक है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि कीमत वास्तव में निश्चित हो और इसे परिवर्तनीय न रखा जाए। कोयले की कीमत तय करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह गंभीर राष्ट्रीय महत्व का खनिज है। की अनुपलब्धता कोयला और इसके परिणामस्वरूप, अन्य उत्पादों से नागरिकों के एक वर्ग को कठिनाई हो सकती है। इससे कारखानों और अन्य उद्योगों को बंद करना पड़ सकता है जिससे राज्य के खजाने को नुकसान होगा क्योंकि वे इसके करों से वंचित हो जाएंगे। इससे नुकसान होगा

लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के घोषित उद्देश्य के लिए हानिकारक। 28. उन्होंने एक्सेल क्रॉप में निम्नलिखित चर्चा का भी उल्लेख किया

सीमित वी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग & Anr.[3]:

" 52. हम यहाँ समानांतर व्यवहार से संबंधित हैं। हम श्री वेणुगोपाल द्वारा दिए गए इस तर्क से अवगत हैं कि अल्पाधिकार की स्थिति में समानांतर व्यवहार अपने आप में एक ठोस अभ्यास नहीं हो सकता है। यूरोपीय न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान देना उचित होगा। डाईस्टफ्स [इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। आयोग का

यूरोपीय समुदाय, 1972 ईसीआर 619 (ईसीजे)]:

" अपनी प्रकृति से, तो, समन्वित अभ्यास नहीं है एक अनुबंध के सभी तत्व लेकिन अन्य बातों के साथ समन्वय से उत्पन्न हो सकते हैं जो प्रतिभागियों के व्यवहार से स्पष्ट हो जाता है। हालांकि समानांतर व्यवहार को स्वयं एक ठोस अभ्यास के साथ पहचाना नहीं जा सकता है, फिर भी यह इस तरह के अभ्यास का मजबूत प्रमाण हो सकता है यदि यह प्रतिस्पर्धा की स्थितियों की ओर ले जाता है जो उत्पादों की प्रकृति, उपक्रमों के आकार और संख्या को ध्यान में रखते हुए बाजार की सामान्य स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, और

उक्त बाजार की मात्रा। यह विशेष रूप से ऐसा मामला है जहाँ समानान्तर व्यवहार ऐसा है जो पक्षों को माँगने की अनुमति देता है।

प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप, और स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आंदोलन की प्रभावी स्वतंत्रता के नुकसान के लिए

[आंतरिक] बाजार में उत्पाद और उपभोक्ताओं द्वारा स्वतंत्र विकल्प उनके आपूर्तिकर्ताओं से। ”

(जोर दिया गया)

उसी समय, न्यायालय ने यह भी जोड़ा कि एक का अस्तित्व

सम्मिलित अभ्यास का उचित मूल्यांकन किया जा सकता है।

निम्नलिखित परीक्षण पर ध्यान दें: " यदि वह साक्ष्य जिस पर विवादित निर्णय आधारित है

माना जाता है, अलग से नहीं, बल्कि समग्र रूप से, ध्यान में रखा जा रहा है

विचाराधीन उत्पादों की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में।

29. विद्वान वकील ने विभिन्न निर्णयों का भी उल्लेख किया

अन्य क्षेत्राधिकार, मुख्य रूप से यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संघ के न्याय न्यायालय, जिन पर हम उचित समय पर चर्चा करेंगे। स्टेज।

30. सुश्री दीवान ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इस पूरे परिदृश्य में यह था

आई. ओ. सी. एल. के विचार रखना आवश्यक है। हालाँकि, एक स्वतः संज्ञान मामले में, आई. ओ. सी. एल. को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था और इसलिए इस मुद्दे पर आई. ओ. सी. एल. से कोई सबूत नहीं मिला था कि क्या मूल्य निर्धारण के मामले में निर्माता के लिए कोई स्वायत्तता बची थी।

31. इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि केवल इसलिए कि कीमत थी

समानता, यह इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कारण नहीं हो सकता था कि एक मिलीजुली समझौता या बोली में धांधली हुई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक एकाधिकारवादी बाजार में जहां कम खरीदार हैं, कीमत निर्धारित की जाती है खरीदारों द्वारा, और शर्तें ऐसी हैं कि विक्रेता मांग की भविष्यवाणी कर सकते हैं, एक दोहराव वाली बोली प्रक्रिया होती है और उत्पाद समान और विशिष्ट होते हैं, मूल्य समानता की संभावना स्वाभाविक है।

32. इसके अलावा, मूल्य समानता अपरिहार्य है जहां खरीदार के पास है

उच्च स्तर का नियंत्रण और अपने विवेक पर मूल्य, मात्रा और यहां तक कि पुरस्कार विजेताओं की पहचान भी निर्धारित करता है। भारत संघ बनाम में निम्नलिखित चर्चा का उल्लेख करते हुए। हिन्दुस्तान विकास निगम,

उन्होंने तर्क दिया कि केवल समान मूल्य निर्धारण गुटबंदी के निष्कर्ष की ओर नहीं ले जा सकता हैः

4 (1993) 1 एस. सी. सी. 467 राजस्थान सिलेंडर्स एंड कंटेनर्स लिमिटेड v. भारत और एक अन्य का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]

" 7. [.....] (1) यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है कि मैसर्स एच. डी. सी., मुकंद और भारतीय ने एक गुट बनाया था। की वजह से

केवल उक्त तीनों द्वारा समान निविदा प्रस्तावों का हवाला देते हुए

निर्माता जिनके लिए कुछ आधार है, यह निष्कर्ष कि उक्त निर्माताओं ने एक गुट का गठन किया था, ऐसा प्रतीत नहीं होता है सही है। हालाँकि, चूंकि उक्त तीन निविदाकारों के प्रस्ताव समान थे और कीमत कुछ कम थी, इसलिए निविदाकार समिति ने संदेह व्यक्त किया कि एक गुट का गठन किया गया था और उक्त निर्माताओं के निविदा के बाद के रवैये से यह और मजबूत हो गया, जिसके परिणामस्वरूप रेल मंत्री सहित निर्णय लेने वाले निकाय के पदानुक्रम में अन्य अधिकारियों द्वारा भी यही संदेह व्यक्त किया गया। [.....]

33. उन्होंने बताया कि यह सिद्धांत भारत संघ के अनुच्छेद 17 में भी कहा गया है। हिन्दुस्तान विकास

कोपरेशंस। उनका निवेदन था कि समान मूल्य निर्धारण आगे भी हो सकता है।

इस तथ्य से समझाया गया है कि, कीमतों की उच्च स्तर की पूर्वानुमेयता को देखते हुए, बोलीदाता कुछ राज्यों में प्रतियोगियों की कीमतों को प्रतिबिंबित करने के लिए अन्य राज्यों में कीमतों को समायोजित या औसत करके व्यावसायिक निर्णय ले सकते हैं।

34. विद्वान वकील ने बताया कि सी. सी. आई. अन्य बातों के साथ-साथ, की उपस्थिति पर आधारित एक मिलीजुली समझौते के निष्कर्ष पर पहुंचा। ऐसी परिस्थितियाँ जिन्होंने मिलीभगत के लिए 'सहायक कारकों' के रूप में काम किया है। उद्योग की प्रकृति का वर्णन करने वाले ये कारक हैं:

((i) माँग की पूर्वानुमान क्षमता

((ii) आपूर्तिकर्ताओं की कम संख्या

(iii) कुछ नए प्रवेशक

((iv) सक्रिय व्यापार संघ

(v) बार-बार बोली लगाना

(vi) समान उत्पाद

(vii) कुछ या कोई विकल्प नहीं

(viii) कोई महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन नहीं, अर्थात, एक मानकीकृत उत्पाद जिसमें कोई परिवर्तन या परिवर्तन नहीं हुआ है।

डिजाइन।

35. उनका जवाब था कि ये वे विशेषताएं हैं जो उद्योग को परिभाषित करती हैं। फिर भी इन कारकों पर ही भरोसा किया जाता है कि 5 (1993) 3 एससीसी 499 [2018] 12 एस. सी. आर.

निष्कर्ष कि 'मिलीभगत' और 'बोली में धांधली' है। उन्होंने कहा कि यदि उद्योग की प्रकृति ऐसी है कि आपूर्तिकर्ताओं की संख्या बहुत कम है, बहुत कम नए प्रवेशक हैं और साल दर साल एक ही पक्ष को एक मानक उत्पाद की आपूर्ति की जा रही है, तो ऐसे कारक व्यक्तिगत निर्माताओं के नियंत्रण से बाहर हैं और इस धारणा को जन्म देने वाले कारकों के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है कि एक सांठगांठपूर्ण आचरण है। दूसरे शब्दों में, उद्योग की प्रकृति का उपयोग एक कारक के रूप में नहीं किया जा सकता है

मिलीभगत क्योंकि मिलीभगत के लिए अपने आप में मन या इरादे की स्थिति की आवश्यकता होती है, जबकि इस मामले में, इनमें से अधिकांश कारक उद्योग की प्रकृति में निहित हैं जैसा कि स्वयं सी. सी. आई. द्वारा वर्णित है।

36. अपने दूसरे प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए, अर्थात्, वर्तमान मामले में कोई मिली-जुली सहमति या बोली में धांधली नहीं थी, उनका निवेदन था कि

सी. सी. आई. ने मूल्य निर्धारण समझौते के प्रमाण के रूप में 1 मार्च, 2010 को कुछ निर्माताओं द्वारा आयोजित रात्रिभोज और 2 मार्च, 2010 को दोपहर के भोजन पर भरोसा किया है। उनकी प्रतिक्रिया यह थी कि बैठकों का तथ्य

किसी भी मामले में स्वयं संघ से मिलीभगत का निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। इसी तरह, सी. ओ. एम. पी. ए. टी. ने भी एसोसिएशन की बैठकों के तथ्य के आधार पर उस निष्कर्ष को बरकरार रखा। सी. ओ. एम. पी. ए. टी. ने इस हद तक अभिनिर्धारित किया कि यह अप्रासंगिक है कि कोई विशेष पक्ष संघ का सदस्य था या नहीं और संघ का अस्तित्व अपने आप में पर्याप्त है। इस दृष्टिकोण पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (सी) (जी) के तहत एक संघ बनाने के मौलिक अधिकार के विपरीत हमला किया गया था।

37. जहाँ तक रात्रिभोज और दोपहर के भोजन पर बैठकों का संबंध है, दोनों की मेजबानी अलग-अलग सदस्यों द्वारा की जाती थी। रात्रिभोज के मामले में

1 मार्च, 2010 को बैठक की मेजबानी नॉर्थ इंडिया वायर्स के प्रबंध निदेशक श्री सी. पी. भारतीय ने की थी। 2 मार्च, 2010 को दोपहर के भोजन की मेजबानी हल्दिया प्रिसिजन के श्री संतोष भारतीय ने की थी। ऐसा नहीं है कि एसोसिएशन ने भुगतान किया या खर्चों को भाग लेने वाले सभी सदस्यों द्वारा साझा किया गया था।

38. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के रूप में-राजस्थान

सिलेंडर्स एंड कंटेनर्स लिमिटेड का संबंध है, अपीलार्थी का कोई भी प्रतिनिधि उक्त बैठक में शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा, कई अन्य सदस्य बैठक में शामिल नहीं हुए। यहां तक कि महानिदेशक के निष्कर्षों के अनुसार, 19 दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले केवल 12 व्यक्तियों ने बैठक में भाग लिया था। उनका निवेदन था कि आरोपों के अनुसार, 45 व्यक्तियों ने गुटबंदी का एक समझौता किया था जिसे केवल उक्त बैठक के साथ स्थापित नहीं किया जाना चाहिए जिसमें सभी ने भाग नहीं लिया था और वास्तव में बहुत कम सदस्य थे।

39. किसी भी मामले में, उनके अनुसार, बैठक में भाग लेने वाले कम से कम दो व्यक्तियों द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कीमत पर चर्चा नहीं की गई थी। ये हैं हल्दिया प्रिसिजन के श्री चंडी प्रसाद भरतिया और श्री.

भिवाड़ी सिलेंडर लिमिटेड के मनविंदर सिंह।

40. इस पहलू पर उनका आगे कहना था कि 44 बोलियां जमा करने के लिए छह एजेंटों को नामित किए जाने के आधार पर किया गया निष्कर्ष भी गलत था। सी. सी. आई. का मानना है कि 'इससे किसी विशेष राज्य में कई आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मूल्य बोलियों में उद्धृत दरों की नकल और मिलान की संभावना हो सकती है।'

41. अह्लस्ट्रॉम ओसाकेहियो वी के मामले में निर्धारित परीक्षण। आयोग इस प्रकार हैः क्या संगीत कार्यक्रम ही एकमात्र प्रशंसनीय व्याख्या है?

आचरण?

मूल्यों और मूल्य प्रवृत्तियों की संतोषजनक व्याख्या बाजार की अल्पाधिकारवादी प्रवृत्तियों और विशिष्ट द्वारा की जा सकती है। निश्चित अवधि में प्रचलित परिस्थितियाँ। तदनुसार, आयोग द्वारा स्थापित समानांतर आचरण गठित नहीं करता है।

संगीत समारोह का प्रमाण।

यह परीक्षण वर्तमान मामले में उन कारणों से पूरा नहीं किया गया है जो हैं

गणना की गई।

42. उनका तीसरा प्रस्ताव था कि किसी भी मामले में प्रतिस्पर्धा पर कोई सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उसने ऐसा करने की कोशिश की

यह तर्क देते हुए कि जब उद्योग एक अल्पाधिकार है, तो मूल्य समानांतर या मूल्य के समान उद्धरण का पता लगाने से स्वयं एक निर्धारित मूल्य का निष्कर्ष नहीं निकलता है। इसके अलावा, तत्काल मामले में, प्रवेश करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई थी क्योंकि 12 नए प्रवेश करने वालों ने वर्ष 2010-11 के लिए अपनी बोली जमा की थी। इसलिए, सी. सी. आई. के निष्कर्ष को बरकरार रखा गया 631.3.1993 , ईसीजे (पैराग्राफ 115, आंतरिक P.1611) ("वुडपुल्प")

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

43. अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए अन्य वकीलों ने कुछ पहलुओं पर आगे के विस्तार के साथ लगभग उसी तर्ज पर अपनी दलीलें दीं, जिनमें से कुछ पर बाद में ध्यान दिया गया है। श्री. अपीलार्थी-ओम कंटेनर्स (2014 का सी. ए. सं. 6369) की ओर से तर्क देने वाले जयवीर शेरगिल ने प्रस्तुत किया कि अनुमान को आकर्षित करने के लिए

प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव के बारे में धारा 3 (3) में निहित, पहली बार में, एक निष्कर्ष होना चाहिए कि

धारा 3 (3) (ए) से (डी) में निर्धारित प्रकार का एक समझौता था। चूंकि, अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप यह था कि समझौते के परिणामस्वरूप

बोली में धांधली और मामला अधिनियम की धारा 3 (3) (डी) के तहत आता है, यह आवश्यक था कि उपरोक्त प्रभाव के लिए एक सकारात्मक निष्कर्ष हो, अर्थात्:

कि एक समझौता था जिसके परिणामस्वरूप बोली में धांधली हुई थी। उनके अनुसार, चूंकि धारा 3 (3) के स्पष्टीकरण में बोली में धांधली की परिभाषा में 'साधन' शब्दों का उपयोग किया गया है, इसलिए परिभाषा एक कठिन और तेज परिभाषा है और अभिव्यक्ति को कोई अन्य अर्थ नहीं दिया जा सकता है, जैसा कि पंजाब लैंड डेवलपमेंट एंड रिक्लेमेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम पंजाब लैंड डेवलपमेंट एंड रिक्लेमेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में माना गया है। पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय 'निम्नलिखित शब्दों में:

" 72. परिभाषा में 'मतलब' शब्द का उपयोग किया गया है। जब कोई क़ानून कहता है कि किसी शब्द या वाक्यांश का "अर्थ" होगा-न केवल यह कि इसमें कुछ चीजें या कार्य शामिल होंगे-तो परिभाषा एक कठिन और तेज़ परिभाषा है, और इसका कोई अन्य अर्थ नहीं दिया जा सकता है।

अभिव्यक्ति की तुलना में परिभाषा में नीचे रखा गया है "(एशर, एम. आर., गफ बनाम। गफ [(1891) 2 क्यू. बी. 665: 65 एलटी 110])। परिभाषा यह है कि

एक शब्द के पूर्ण अर्थ का स्पष्ट कथन।

44. इस प्रकार, उनके अनुसार, बोली में धांधली का मामला होने के लिए, समझौता ऐसा होना चाहिए जिसे धारा के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया हो।

3 (3) ((घ) प्रभाव पैदा करना:

ए। बोलियों के लिए प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना या कम करना या

बी। बोली लगाने की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना या

सी। बोली लगाने की प्रक्रिया में हेरफेर करना।

45. उन्होंने एस. सुंदरम पिल्लई बनाम मामले में फैसले का उल्लेख किया। वी. आर. पट्टाबीरमन 3, एक 'स्पष्टीकरण' के उद्देश्य से, अर्थात। :

7 (1990) 3 एस. सी. सी. 682

8 (1985) 1 एस. सी. सी. 591 जशन सिलेंडर्स एंड कंटेनर्स लिमिटेड v. भारत और एक अन्य का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]

" 46. अब हमें विचार करना होगा कि इसका क्या प्रभाव है

उस परंतुक पर स्पष्टीकरण जो इच्छाशक्ति के प्रश्न से संबंधित है

डिफ़ॉल्ट। हालाँकि, इससे पहले कि हम इस कठिन और नाजुक प्रश्न की जाँच शुरू करें, हमें इरादे, उद्देश्य और उद्देश्य की सराहना करनी चाहिए। एक स्पष्टीकरण का कानूनी प्रभाव। यह अब अच्छी तरह से तय किया गया है कि

एक सांविधिक प्रावधान में जोड़ा गया स्पष्टीकरण मूल नहीं है।

शब्द के किसी भी अर्थ में लेकिन के सादे अर्थ के रूप में प्रावधान

स्वयं शब्द से पता चलता है कि यह केवल कुछ बातों को समझाने या स्पष्ट करने के लिए है

अस्पष्टताएँ जो वैधानिक प्रावधान में हो सकती हैं। सारथी

विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देते हुए कानूनों की व्याख्या में

एक स्पष्टीकरण का अवलोकन इस प्रकार हैः

(क) स्पष्टीकरण का उद्देश्य अधिनियम को समझना है -

व्याख्या का प्रकाश।

(ख) यह सामान्य रूप से मूल खंड का दायरा नहीं बढ़ाता है।

जो यह समझाता है, लेकिन केवल अर्थ को स्पष्ट करता है

विवाद "। 46. उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस प्रकृति का कोई सकारात्मक प्रमाण नहीं है

और सी. सी. आई. के साथ-साथ सी. ओ. एम. पी. ए. टी. ने निष्कर्षों पर आगे बढ़कर

डीएस बोली में धांधली और इसलिए, इस तरह के आदेशों को बनाए नहीं रखा जा सकता है।47. इसके अभाव में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया, सिद्धांत पद्य का बोझ जो अपीलार्थियों पर डाला गया था, लागू नहीं होगा। वह.

समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों को लाल।

48. वकील ने सी. सी. आई. बनाम में निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया।

डब्ल्यू. बी. फिल्म और टेलीविजन के टेस और तकनीशियनः

" 31. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, जैसा कि 2007 और 2009 में संशोधित किया गया,

समझौते, प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग और एक संयोजन या उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाला अधिग्रहण। तब से

सी. सी. आई. के अधिकांश दृष्टिकोण ने यह भी स्वीकार किया कि विवादित गतिविधियाँ समन्वय समिति का प्रभाव का दुरुपयोग नहीं था

स्थिति, और यह विरोधी के रूप में एक ही व्यवहार किया-प्रतिस्पर्धी होने

प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव, हमारी चर्चा होगी

केवल प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों पर ध्यान केंद्रित करें। धारा 3

अबू वी। केरल राज्यः [(2010) 9 एस. सी. सी 189]

नूर आगा बनाम। पंजाब राज्य; [(2008) 16 एससीसी 417]सी. सी. आई बनाम डब्ल्यू. बी. फिल्म और टेलीविजन के कलाकार और तकनीशियनः [(2017) 5 एससीसी 17] [2018] 12 एस. सी. आर.

अधिनियम इस संबंध में सुसंगत धारा है। इसका उद्देश्य कुछ समझौतों पर अंकुश लगाना या उन्हें प्रतिबंधित करना है। इसलिए, पहली बार में, यह पता लगाया जाना चाहिए कि एक "समझौता" था जो उद्यम या उद्यमों के संघ या व्यक्ति द्वारा किया गया था या व्यक्तियों का संगठन। इसके बाद, यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या ऐसा समझौता अधिनियम के अर्थ के भीतर प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौता है। एक बार ऐसा पाए जाने के बाद, उपचार से संबंधित अन्य प्रावधान जो उन्हें दिए जाने की आवश्यकता है

आकर्षित हों "।

49. उपरोक्त कानूनी सिद्धांत की सहायता लेते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में यह देखा जाएगा कि सी. सी. आई., उपरोक्त कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय, बोली में धांधली की 'संभावना' का 'अनुमान' लगाने के लिए उद्योग की सामान्य बाजार स्थितियों से जुड़े कारकों का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ा और फिर निष्कर्ष निकाला कि सुविधा कारक 'जो गुटबंदी के लिए अनुकूल माने जा सकते हैं' मौजूद हैं। डी. जी. ने पाया कि 'सभी संभावनाओं में, बॉम्बे में बैठक में एक दूसरे के साथ मिलीभगत से कीमतें तय की गई थीं। सी. सी. आई. द्वारा 'उच्च संभावना', 'संभावना', 'प्रवृत्तियों' या 'संभावना' पर आधारित ऐसा अनुमान और धारणा धारा 3 (3) के स्पष्टीकरण में निहित परिभाषा की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है और निश्चित रूप से इसमें परिभाषित 'बोली में धांधली' का निष्कर्ष नहीं है। न्यायाधिकरण इस आधार पर भी आगे बढ़ा है कि यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि ये बैठकें निविदा प्रस्तावों से संबंधित थीं। इस प्रकार, बोली में कथित धांधली का समर्थन करने के लिए कोई स्पष्ट, सटीक और सुसंगत सबूत नहीं थे

हुआ था।

50. श्री शेरगिल का अगला निवेदन यह था कि बोली में धांधली के निष्कर्ष के पूर्ण अभाव के अलावा, वर्तमान आई. ओ. सी. एल. निविदा में,

वास्तव में बोली में कोई धांधली नहीं हो सकती है जैसा कि धारा 3 (3) में परिभाषित किया गया है। पहला घटक लेने के लिए, यानी बोलियों के लिए प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने या कम करने के लिए, डी. जी. की रिपोर्ट में ही पता चलता है कि 60 बोली लगाने वाले दलों में से 37 संस्थाएं किसी एक समूह से संबंधित नहीं थीं और स्वतंत्र रूप से नियंत्रित हैं। इसलिए, तुरंत 'बोलियों के लिए प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने या कम करने' का कोई मामला नहीं है, जो बोली में धांधली के संभावित तत्वों में से एक है क्योंकि 37 संस्थाएं थीं जो किसी भी गुट द्वारा किसी भी नियंत्रण के अभाव में भाग लेने और अपनी मर्जी से बोली लगाने के लिए स्वतंत्र थीं।

51. जहां तक बोली में धांधली की दूसरी और तीसरी आवश्यकता के संबंध में, यानी बोली प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने या हेरफेर करने के संबंध में, उन्होंने तर्क दिया कि राजस्थान साइलैंडर्स एंड कंटैनर्स लिमिटेड v.

कि अपीलार्थी द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने (भले ही समान हो) का 'बोली प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने या हेरफेर करने' का कोई प्रभाव नहीं हो सकता है, यह वर्तमान निविदा प्रक्रिया की प्रकृति के कारण है। हालांकि, बोली लगाने वालों से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, आईओसीएल के पास एक निश्चित/आधार है

रुपये का खरीद मूल्य। 1106.61 प्रति सिलेंडर। आई. ओ. सी. एल. फिर एक काम करता है

उस राज्य के लिए विशिष्ट कुछ कारकों जैसे चुंगी, माल ढुलाई आदि के आधार पर प्रति राज्य अनुमानित दर। एल 1 (सबसे कम बोली लगाने वाले) द्वारा दी गई बोली तब निविदा खंड के अनुसार आई. ओ. सी. एल. द्वारा और नीचे की बातचीत के अधीन होती है और आगे एक अंतिम दर तय की जाती है। इस तरह की अंतिम दर अंततः एल 1 बोली राशि से भी कम है। इस प्रकार, तथ्यात्मक रूप से, तार्किक रूप से और वास्तव में किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत कोई भी बोली कभी भी ऐसी नहीं हो सकती है जो बोली प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित या हेरफेर करती हो। यह सारी जानकारी आई. ओ. सी. एल. के पास बोली प्रक्रिया की तैयारी के हिस्से के रूप में है।

अनुमान और वित्तीय कार्यप्रणाली को आसानी से ध्यान में रखा जा सकता था। समर्थन में, श्री शेरगिल ने आईओसीएल निविदा के नियमों और शर्तों का भी उल्लेख किया।

52. उनका आगे निवेदन था कि सी. सी. आई., या उस मामले के लिए सी. ओ. एम. पी. ए. टी., की प्रस्तुतियों से प्रभावित होने में गलत थे।

अपीलार्थियों द्वारा समान बोलियां, जो वास्तव में बोली में धांधली का अनुमान नहीं हो सकती थीं। इस तरह की समान कीमतें विभिन्न कारणों से हो सकती हैं और उन्होंने साझा किया कि सुश्री दीवान द्वारा दिए गए कारणों ने ओलिगोप्सोनी/मोनोप्सोनी पर उनकी प्रस्तुतियों की भविष्यवाणी की। इसके अलावा, उन्होंने भारत संघ बनाम हिंदुस्तान विकास निगम 1 1 और विशेष रूप से, इसके पैरा 17 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जो निम्नानुसार हैः

" 17. इसलिए, क्या किसी दिए गए मामले में, कुछ निर्माताओं द्वारा एक गुट का गठन किया गया था जो एक अनुचित व्यापार अभ्यास के बराबर है, यह उपलब्ध साक्ष्य पर निर्भर करता है और आसपास की परिस्थितियाँ। तत्काल मामले में, शुरू में निविदा समिति ने यह राय बनाई कि तीन बड़े निर्माताओं ने इस आधार पर एक गुट का गठन किया कि उनके द्वारा शुरू में उद्धृत कीमत समान थी और केवल एक गुट की कीमत थी। हमारे विचार में, यह केवल एक संदेह था जो निश्चित रूप से डाक द्वारा मजबूत हुआ।

उक्त निर्माताओं का कोमल रवैया जिन्होंने बहुत कम कीमत का हवाला दिया। जैसा कि ऊपर देखा गया है, केवल इन दो परिस्थितियों के आधार पर इसका सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। अतीत में ये

1 0 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एकमात्र अपवाद के साथ क्योंकि यह अद्वितीय है

परिवहन संबंधी लागतों का प्रभाव।

तीन बड़े निर्माताओं ने भी अपने स्वयं के उद्धरण की पेशकश की और उन्हें मौजूदा प्रथा के आधार पर मात्रा आवंटित की गई। हालांकि, केवल समान मूल्य का उद्धरण और स्वयं द्वारा और कमी का प्रस्ताव उन्हें एकाधिकार के माध्यम से पूरे बाजार को घेरने का अधिकार नहीं देगा क्योंकि अधिकारियों में निहित मात्राओं का अंतिम आवंटन जो अपने विवेक से इन तीन बड़े निर्माताओं सहित सभी निर्माताओं को निश्चित आधार पर वितरित कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर इस तरह की लुभावनी कीमत को स्वीकार करना है तो छोटे निर्माता प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं होंगे और इसके परिणामस्वरूप मुक्त प्रतिस्पर्धा समाप्त हो सकती है। लेकिन वहाँ फिर से अधिकारियों ने इतनी कम कीमत को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखा। इन परिस्थितियों में हालांकि इन तीन बड़े निर्माताओं के रवैये ने इस संदेह को जन्म दिया कि उन्होंने एक गुट बनाया था, लेकिन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है कि वास्तव में गुट का ऐसा गठन था। हालांकि, मंत्री सहित संबंधित अधिकारियों द्वारा इस तरह की राय पर विचार किया गया

दुर्भावनापूर्ण नहीं था और न ही किसी बाहरी द्वारा प्रेरित किया गया था

विचार करें। उन्होंने रिकॉर्ड और आसपास की अन्य परिस्थितियों के आधार पर एक उचित संदेह का मनोरंजन किया और केवल यह रुख अपनाने में एक प्रामाणिक तरीके से काम किया कि तीन बड़े

निर्माताओं ने एक गुट बनाया।

53. 'अल्पाधिकारवादी परस्पर निर्भरता के सिद्धांत' के साथ-साथ यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के निर्णयों पर कुछ साहित्य

54. श्री प्रदीप अग्रवाल ने इसके अलावा तर्क दिया कि हालांकि गुटबंदी का कोई सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकला और निष्कर्ष केवल था अनुमानित, भले ही यह स्वीकार किया जाए कि बोली में धांधली या मिलीजुली बोली का ऐसा समझौता था, प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव का कोई अनुमान नहीं था। वैकल्पिक रूप में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि वास्तव में, वर्तमान मामले में प्रतिस्पर्धा पर कोई सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था और उक्त धारणा को रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत पेश करके पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था।

55. विभिन्न अन्य वकीलों ने भी इसी तर्ज पर तर्क दिया और इसके अलावा तथ्यों या उनके विशिष्ट मामलों का उल्लेख किया और यह आवश्यक नहीं है दोहराव से बचने के लिए उन सभी तर्कों को बताना।

56. इसके विपरीत, श्री सलमान खुर्शीद, विद्वान वरिष्ठ वकील राजस्थान सिलेंडर्स एंड कंटेनर्स लिमिटेड v.

57.

(

(

(

(

(

58.

बोलियां प्रस्तुत करने के लिए। उदाहरण के लिए, पंजाब राज्य में, एल 1 बोलीदाता (श्री राम सिलेंडर) ने रु। 1080 जबकि चार एल 2 बोलीदाताओं ने रुपये, 1080.50 पर समान बोलियां दीं, यानी एल-1 बोली से केवल 50 पैसे का अंतर। इसी तरह, राजस्थान में एल-1 बोलीदाता (मेसर्स)। राजस्थान सिलेंडर) ने रु। 1130 , जबकि नौ एल 2 बोलीदाताओं ने केवल 50 द्वारा समान रूप से उद्धृत किया पैसे अधिक, रुपये में। 1130.50 . यह पैटर्न कई राज्यों में दोहराया जाता है।

59. इतना ही नहीं, पूर्व-निर्धारित परिणाम प्राप्त करने के लिए, कुछ बोलीदाताओं ने जल्दबाजी में अपने बोली दस्तावेजों में सुधार किए।

ऐसा ही एक मामला मेसर्स का है। जेसमाजो औद्योगिक निर्माण (2014 के सी. ए. सं. 4868 में अपीलार्थी)। बोली दस्तावेजों में, रुपये की बोली। 1103 कटौती की गई थी-इसे रुपये बनाने के लिए सही किया गया था। 1103.60 भले ही वैट की गणना केवल रुपये के आंकड़े पर की गई थी। 1103. महानिदेशक ने इस पहलू पर निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

" 6.13 ..... जेसमाजो इंडस्ट्रियल के निविदा दस्तावेजों से स्पष्ट है कि बोलियां आपसी चर्चा के बाद प्रस्तुत की गई थीं। फैब्रिकेटर्स पी. लिमिटेड (प्रदर्शनी 4 पी)। कंपनी के निविदा दस्तावेजों और वित्तीय बोलियों में कटौती होती है। चूंकि, वहाँ थे

सभी तेल कंपनियों के बीच चर्चा के बाद कंपनी ने वित्तीय बोलियों में बदलाव करने का फैसला किया होगा। हालाँकि, कंपनी की वित्तीय बोलियों में भी, यह ध्यान दिया जाता है कि परिवर्तनों के बावजूद, त्रुटियाँ बनी हुई हैं। ऐसा लगता है कि कंपनी ने मूल रूप से रु। 1103 / - दर के रूप में। इसके बाद दरों को बदलकर रुपये कर दिया गया। 1103.60 . हालांकि, बोली में वैट दर की गणना रुपये पर की गई थी। 1103 / - केवल रुपये के बजाय। 1103.60 . इस प्रकार, जबकि दरों के अन्य घटकों को बदल दिया गया है/बदल दिया गया है, गणना

रुपये पर वैट लगाया गया है। 1103 (मूल रूप से उद्धृत) रुपये के बजाय। 1103.60 (परिवर्तित उद्धरण)। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अन्य बोलीदाताओं के साथ दरों का मिलान करने के लिए किया गया है जिन्होंने कर्नाटक राज्य में समान दरों का हवाला दिया है और संघवी समूह को इसमें एल-1 होने दिया है। राज्य "।

60. श्री खुर्शीद ने अपीलार्थियों के इस तर्क का भी खंडन किया कि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी और इसलिए, धारा 3 लागू नहीं थी। उनके अनुसार, अगर मामलों की जांच इस आधार पर की जाती है तो अधिकांश अपराधी भाग जाएंगे। इस अधिनियम का उद्देश्य न केवल गुटबंदी को समाप्त करना था, बल्कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना भी था।

उनका निवेदन था कि जशन सिलेंडर्स एंड कंटेनर्स लिमिटेड v. भारत और एक अन्य का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]

सी. सी. आई. और सी. ओ. एम. पी. ए. टी. के निष्कर्षों को स्वीकार किया जाता है कि इस तरह का समझौता स्पष्ट रूप से उद्देश्य के लिए था

प्रतियोगिता में भाग लें।

61. 'मूल्य समानता' के तर्क का उत्तर देते हुए, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं के अनुसार समान और लगभग समान बोलियां निकलीं, श्री खुर्शीद ने कहा कि इस संबंध में कानूनी प्रस्तुतिकरण का निपटारा इस न्यायालय द्वारा 1 क्रॉप केयर मामले में किया गया था, जिसमें इस तरह के तर्क को 1 क्रॉप केयर मामले में खारिज कर दिया गया था।

पंखों वाले शब्दः

" 48 ..... यह तर्क दिया गया था कि चूंकि खरीदार द्वारा प्रमुख स्थिति का आनंद लिया जाता है, इसलिए यह समानांतर मूल्य निर्धारण की ओर ले जाता है और यह सचेत समानता आपूर्तिकर्ताओं द्वारा समान मूल्य उद्धृत करने के लिए होती है। इस प्रकार, समान मूल्य उद्धृत करने के लिए दिया गया स्पष्टीकरण उपरोक्त आर्थिक शक्तियां थीं, न कि किसी समझौते या समझौते के कारण।

पक्षों के बीच व्यवस्था। यह प्रस्तुत किया गया था कि केवल इसलिए कि 2009 के एफ. सी. आई. निविदा के संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा समान मूल्य उद्धृत किया गया था, कोई भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था कि समान मूल्य उद्धृत करने के उक्त तथ्य की पुष्टि करने वाले किसी अन्य साक्ष्य के अभाव में इन पक्षों के बीच कुछ "समझौता" भी था। इस निवेदन के संबंध में श्री वेणुगोपाल ने कुछ निर्णयों का भी उल्लेख किया था।

49. उपरोक्त तर्क बहुत गलत है। श्री कौल का एक साफ और नीरस जवाब, जो स्वीकृति का आदेश देता है, यह है कि बोली के मामलों में समानता का तर्क लागू नहीं होता है और यह इसमें फिट बैठता है।

बाजार अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। यही कारण है कि धारा 3 के लागू होने से पहले समान मूल्य उद्धृत करने के पूरे इतिहास पर प्रकाश डाला गया है और जो अधिनियम की धारा 3 के लागू होने के बाद भी जारी रहा।

62. उन्होंने कॉम्पैट के निम्नलिखित निष्कर्षों का भी उल्लेख किया

मान लीजिए कि तथ्यों के निष्कर्ष को स्वीकार करने की आवश्यकता हैः

" 36. हम इस विश्लेषण से पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यह सब यह तब तक संभव नहीं हो सकता था जब तक कि आंतरिक समझौते न हों

चिंताओं के बीच। जो बात हमें हैरान करती है वह यह है कि कीमत के उद्धरण अंतिम दशमलव से मेल खाते हैं और कुछ मामलों में उद्धरण विषम आंकड़ों में थे जैसे कि तमिलनाडु राज्य में Rs.1127। रिकॉर्ड ऐसे विषम आंकड़ों से भरा हुआ है। अजीब बात है कि

इन पक्षों के प्रतिनिधियों के कुछ मौखिक बयान, जिनकी डी. जी. द्वारा जांच की गई थी, उनमें से कुछ [2018] 12 एस. सी. आर. भी नहीं कर सके।

इन समान कीमतों को सही ठहराते हुए उन्होंने यह कहने की कोशिश की कि यह केवल एक संयोग था। हम संयोग के तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं जैसा कि सी. सी. आई. द्वारा सही ढंग से खारिज किया गया था। इस तरह के समान या लगभग समान मूल्य निर्धारण के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है। सी. सी. आई. ने ठीक ही माना है कि प्रति सिलेंडर की निर्माण लागत Rs.870 से लेकर रु. 1095.89। यदि ऐसा था, तो कीमतें अलग होनी चाहिए थीं, अगर उन्हें प्रतिस्पर्धी भावना में पेश किया गया था। सी. सी. आई. के समक्ष या हमारे समक्ष ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी, जो दरों की पहचान से उत्पन्न होने वाली धारणा का खंडन करने में सक्षम हो। इसलिए सी. सी. आई. ने सही निष्कर्ष निकाला कि कीमतों की यह पहचान भयावह और प्रकृति में प्रतिस्पर्धा-विरोधी थी।

63. एक अन्य विशेषता जिस पर श्री सलमान खुर्शीद ने ध्यान दिलाया वह थी -

कि बोलियों के विश्लेषण से पता चला कि बाजार में हिस्सेदारी और बोलियों का क्षेत्रीय आवंटन था। उनके अनुसार, इसे अभिलेख से सामने आने वाले निम्नलिखित साक्ष्यों से समझा जा सकता हैः

" सबसे पहले, आर्थिक साक्ष्य इंगित करते हैं कि एक समझ या व्यवस्था या समझौता था जिसके द्वारा प्रत्येक बोलीदाता को निविदा के तहत आवंटन का कुछ हिस्सा मिलेगा। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 50 में से प्रत्येक

मूल्य बोलियां जमा करने वाले बोलीदाताओं को एक या अधिक राज्यों में आवंटन का कुछ हिस्सा प्राप्त हुआ और कोई भी खाली हाथ नहीं गया। दूसरे शब्दों में, कई उदाहरणों में समान बोलियों को उद्धृत करने का उद्देश्य बाजार को साझा करने के उद्देश्य को प्राप्त करना था, यानी 25 राज्यों में आई. ओ. सी. एल. की आवश्यकता को 50 बोलीदाताओं में से प्रत्येक द्वारा 'साझा' किया गया था।

समझना।

64. श्री खुर्शीद ने यह भी कहा कि अपीलार्थी की इकाइयों के स्थान और उनकी निवेश लागत में अंतर होने के बावजूद, विभिन्न निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत बोलियां समान थीं और ऐसी समान बोली के लिए कोई प्रशंसनीय आर्थिक तर्क नहीं हो सकता है। इसलिए, उपरोक्त विशेषताओं और कारकों के आधार पर सी. सी. आई. के साथ-साथ सी. ओ. एम. पी. ए. टी. द्वारा तैयार किया गया निष्कर्ष न्यायसंगत और कानून में मान्य था। उन्होंने इस न्यायालय के साथ-साथ अन्य क्षेत्राधिकारों जैसे कि यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संघ के न्यायालय के कुछ निर्णयों का भी उल्लेख किया, जिनका संदर्भ उचित स्तर पर दिया जाएगा।

65. विभिन्न जशन सिलेंडर्स एंड कॉन्टैनर्स लिमिटेड v द्वारा दिए गए तर्कों से निपटने से पहले।

भारत और एक अन्य का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]

जो अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए और श्री खुर्शीद, विद्वान वरिष्ठ वकील, जो सी. सी. आई. और आई. ओ. सी. एल. की ओर से भी पेश हुए, ने इसका खंडन किया, हम इसके प्रासंगिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगेः

सी. टी. जिसके आलोक में इन अपीलों पर निर्णय लिया जाना हैः

66. धारा 2 (सी) "कार्टेल" को परिभाषित करती है और निम्नानुसार पढ़ती हैः

" " " कार्टेल "में उत्पादकों, विक्रेताओं, वितरकों, व्यापारियों या सेवा प्रदाताओं का एक संघ शामिल है, जो समझौते द्वारा

स्वयं, उत्पादन, वितरण, बिक्री या मूल्य को सीमित करने, नियंत्रित करने या नियंत्रित करने का प्रयास, या, वस्तुओं में व्यापार या सेवाओं के प्रावधान;

67. अधिनियम की धारा 3 उन समझौतों से संबंधित है और उन्हें प्रतिबंधित करती है

एच कारण और एक सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव पैदा करने की संभावना है

भारत के भीतर ईटीशन। यह नीचे लिखा हैः

" भाग 3: प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतेः

(1) उद्यमों या व्यक्तियों का कोई उद्यम या संघ या व्यक्तियों का संघ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, भंडारण, अधिग्रहण या नियंत्रण या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में कोई समझौता करेगा, जो भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव डालता है या पैदा करने की संभावना है।

(2) प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया कोई भी समझौता

उप-धारा (1) में निहित अर्थ शून्य होगा।

(3) उद्यमों या संघों के बीच किया गया कोई भी समझौता उद्यमों या व्यक्तियों या व्यक्तियों के संघों या किसी व्यक्ति और उद्यम या प्रथा के बीच, या लिया गया निर्णय

उद्यमों के किसी संघ या व्यक्तियों के संघ द्वारा,

समान या समान वस्तुओं के व्यापार में लगे गुटों सहित या

सेवाओं का प्रावधान, जो

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद या बिक्री मूल्य निर्धारित करता है;

(बी) उत्पादन, आपूर्ति, बाजार, तकनीकी विकास, निवेश या सेवाओं के प्रावधान को सीमित या नियंत्रित करता है;

(ग) बाजार के भौगोलिक क्षेत्र, या वस्तुओं या सेवाओं के प्रकार, या बाजार में ग्राहकों की संख्या के आवंटन के माध्यम से बाजार या उत्पादन के स्रोत या सेवाओं के प्रावधान को साझा करता है।

या कोई अन्य समान तरीका; [2018] 12 एस. सी. आर.

(घ) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली में धांधली या मिलीजुली बोली के परिणामस्वरूप, बोली पर एक सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

प्रतिस्पर्धाः बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी संयुक्त उद्यमों के माध्यम से किए गए किसी भी समझौते पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा समझौता माल के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, भंडारण, अधिग्रहण या नियंत्रण या सेवाओं के प्रावधान में दक्षता बढ़ाता है।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "बोली में धांधली" का अर्थ है उद्यमों या निर्दिष्ट व्यक्तियों के बीच कोई समझौता।

उप-धारा (3) में माल के समान या समान उत्पादन या व्यापार या सेवाओं के प्रावधान में लगे हुए हैं, जिसका प्रभाव हैः

बोलियों के लिए प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना या कम करना या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना

या बोली लगाने की प्रक्रिया में हेरफेर करना।

68. अधिनियम की धारा 19 में कुछ कारकों का उल्लेख किया गया है जिन्हें यह निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या किसी समझौते का धारा 3 के तहत प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हम प्रजनन करते हैं

नीचे दी गई कार्रवाईः

" प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 19 (3):

(3) आयोग, यह निर्धारित करते समय कि क्या कोई समझौता है धारा 3 के तहत प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, निम्नलिखित सभी या किसी भी कारक को ध्यान में रखते हुए, अर्थात्ः

((क) बाजार में नए प्रवेशकों के लिए बाधाओं का निर्माण;

(ख) मौजूदा प्रतियोगियों को बाजार से बाहर निकालना;

((ग) बाजार में प्रवेश में बाधा डाल कर प्रतिस्पर्धा को रोक देना।

((घ) उपभोक्ताओं को लाभों का संचय; (ङ) वस्तुओं के उत्पादन या वितरण या प्रावधान में सुधार।

सेवाएँ; (च) वस्तुओं के उत्पादन या वितरण या सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से तकनीकी, वैज्ञानिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

69. एक्सेल क्रॉप केयर लिमिटेड में, अधिनियम की धारा 3 का दायरा प्रतिस्पर्धा-विरोधी के रूप में तीन प्रकार की प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है, जिन्हें निम्नानुसार लिया गया थाः

" 20. अधिनियम का अध्याय II तीन प्रकार की प्रथाओं से संबंधित है-जशन सिलेंडर्स एंड कंटेनर्स लिमिटेड v.

भारत और एक अन्य का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]

जिन्हें प्रतिस्पर्धा-विरोधी और निषिद्ध माना जाता है। ये हैं:

(क) जहाँ प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव डालने की दृष्टि से कुछ व्यक्तियों द्वारा समझौते किए जाते हैं;

(ख) जहाँ कोई उद्यम या उद्यमों का समूह, जिसका लाभ होता है।

प्रमुख स्थिति, उक्त प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करती है; और

(ग) के माध्यम से उद्यमों के संयोजन को विनियमित करना

समामेलन प्रतिस्पर्धा विरोधी या दुरुपयोग नहीं होते हैं प्रमुख स्थिति जिसे वे प्राप्त कर सकते हैं।

70. उस मामले में भी न्यायालय पहली श्रेणी से संबंधित था, अर्थात, उन मामलों में जहां कुछ व्यक्ति एक के साथ समझौते करते हैं

प्रतिस्पर्धा का एक सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव पैदा करना। उद्देश्य

इस तरह की प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं पर अंकुश लगाने का विस्तार से उल्लेख किया गया था।

हालांकि, उस विस्तृत तरीके से इसे फिर से बताना आवश्यक है, फिर भी, सार को पकड़ने के लिए कुछ हिस्सों को उद्धृत करना चाहते हैं और

अधिनियम के बारे में:

" 21. तत्काल मामले में, हम पहले प्रकार की प्रथाओं, अर्थात् प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों से संबंधित हैं। यह अधिनियम, जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को प्रतिबंधित करता है, इसके पीछे एक प्रशंसनीय उद्देश्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बाजार में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर जनता के साथ-साथ राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए भी विभिन्न लाभ लाता है। वास्तव में, प्रतिस्पर्धा नीति (या उस मामले में, यहाँ तक कि उपभोक्ता नीतियों) का अंतिम लक्ष्य उपभोक्ता कल्याण को बढ़ाना है। इन नीतियों को निर्देशित किया जाता है -

यह सुनिश्चित करना कि बाजार प्रभावी ढंग से काम करें। प्रतिस्पर्धा नीति बाजार के आपूर्ति पक्ष का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि

उपभोक्ताओं के पास पर्याप्त और किफायती विकल्प हैं। प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों पर अंकुश लगाने का एक अन्य उद्देश्य सभी बाजार खिलाड़ियों के लिए "समान अवसर" सुनिश्चित करना है जो बाजारों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करता है। यह "खेल के नियम" निर्धारित करता है जो प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया की रक्षा करते हैं। बाजार में प्रतियोगियों के बजाय स्वयं। इस तरह, निष्पक्ष और प्रभावी प्रतिस्पर्धा की खोज सुधार में योगदान कर सकती है

आर्थिक दक्षता, आर्थिक विकास और विकास में

उपभोक्ता कल्याण।

XXX

XXX

XXX

23. वास्तव में, [2018] 12 एस. सी. आर. का समर्थन करने वाले व्यापक अनुभवजन्य साक्ष्य हैं।

यह प्रस्ताव कि प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है।

अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि सुधार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है

उत्पादकता और, इसलिए, विकास की संभावनाएँ

अर्थव्यवस्था।

24. प्रतियोगिता के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि होती है

लागत को नियंत्रित करने के लिए फर्मों पर दबाव क्योंकि उत्पादक कम करने का प्रयास कर रहे हैं उनकी उत्पादन लागत ताकि वे प्रतिस्पर्धी मूल्य ले सकें। यह उनके सामान और सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार करता है ताकि वे उपभोक्ताओं की मांगों के अनुरूप हों।

XXX

XXX

XXX

26. जब हम यह स्वीकार करते हैं कि प्रतिस्पर्धा के कई लाभ हैं, तो यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि गुट या प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते कीमतों को तय करके, उत्पादन को सीमित करके या आवंटित करके उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाते हैं।

बाज़ार। ऐसी प्रथाओं के खिलाफ प्रभावी प्रवर्तन का बाजार में कम कीमतों के संदर्भ में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला प्रभाव है और यह है

विभिन्न अनुभवजन्य अध्ययनों द्वारा भी समर्थित।

XXX

XXX

XXX

उदारीकरण और निजीकरण के बाद यह पाया गया कि उस समय प्रचलित कानून, अर्थात् एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं था भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रतिस्पर्धा पहलुओं से निपटने के लिए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों, जिनमें सी. सी. आई. और सी. ओ. एम. पी. ए. टी. शामिल हैं, को

सुनिश्चित करें कि प्रतिस्पर्धा-विरोधी पर अंकुश लगाकर इन उद्देश्यों को पूरा किया जाए।

समझौते "।

71. न्यायालय ने विशेष रूप से यह भी उल्लेख किया कि प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ती है

परमाणु दक्षता, आर्थिक विकास और विकास के साथ-साथ मानव कल्याण। न्यायालय ने यह भी बताया कि किस तरीके से

ई. टी. आई. एन. ने आर्थिक विकास और वृद्धि में योगदान दिया

गतिविधि।

72. उपरोक्त बातों से यह पता चलता है कि जहां एक ओर राष्ट्र की ओमिक नीति ने उदारीकरण और एकीकरण के युग की शुरुआत की है, वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र को सार्वजनिक हित में और राजस्थान के उद्यमों और भागीदारों की सीमा में व्यवसाय करने के तरीके में स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिला है।

और इसलिए प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, सी. सी. आई. को (एक नियामक के रूप में) यह सुनिश्चित करने का कार्य दिया गया है कि ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाएं न अपनाई जाएं। वास्तव में, अधिनियम की धारा 18 सी. सी. आई. पर प्रतिबंधों को 'समाप्त' करने का एक विशिष्ट और सकारात्मक दायित्व डालती है। प्रतिस्पर्धी प्रथाओं और प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता के हित और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। इस न्यायालय द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और अन्य 1 2 में भी इस उद्देश्य पर जोर दिया गया था जो निम्नलिखित टिप्पणियों में पाया जा सकता हैः

" 6. जहाँ तक प्रतिस्पर्धा कानूनों के उद्देश्यों का संबंध है, वे देश से देश में भिन्न होते हैं और यहां तक कि एक देश के भीतर भी वे समय के साथ बदलते और विकसित होते दिखाई देते हैं। हालाँकि, प्रतिस्पर्धा कानून के कुछ सामान्य उद्देश्यों का उल्लेख करना उपयोगी होगा। प्रतिस्पर्धा कानून का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता वरीयताओं के प्रति उत्तरदायी बाजार के निर्माण में सहायता करने के साधनों में से एक के रूप में प्रतिस्पर्धा का उपयोग करके आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देना है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तीन फायदे हैंः आबंटन दक्षता, जो संसाधनों का प्रभावी आवंटन, उत्पादक दक्षता सुनिश्चित करती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि उत्पादन की लागत को न्यूनतम और गतिशील दक्षता पर रखा जाए, जो बढ़ावा देती है

नवीन प्रथाएँ। ये कारक बड़े पैमाने पर हैं
प्रतिस्पर्धा कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दुनिया भर में मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया गया।

73. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं में से एक है

गुटबंदी, जिसका आवश्यक अभिधारणा उद्यमों या उद्यमों के संघ या व्यक्तियों या व्यक्तियों के संघों के बीच उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, भंडारण, अधिग्रहण या माल या सेवा के प्रावधानों के नियंत्रण के संबंध में समझौता है, जो भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव डालता है या पैदा करने की संभावना रखता है। इस तरह एक समझौते को अमान्य माना जाता है। समझौते के प्रकार जो धारा 3 के खिलाफ हो सकते हैं, उनका उल्लेख इसकी उप-धारा (3) में किया गया है। इनमें बाजार के भौगोलिक क्षेत्रों के आवंटन के माध्यम से बाजार को साझा करना शामिल है [खंड (सी)] और ऐसे समझौते जिनके परिणामस्वरूप बोली-प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धांधली या मिलीजुली बोली [खंड (डी)] होती है। ऐसी धारणा है कि उप-धारा (3) में उल्लिखित चार प्रकार के समझौतों का प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

74. हम इस स्तर पर यह भी कह सकते हैं कि अधिनियम की धारा 19 (3) में उन कारकों का उल्लेख है जिनकी सी. सी. आई. द्वारा जांच की जानी है।

यह निर्धारित करना कि क्या किसी समझौते का धारा 3 के तहत प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तथापि, उन मामलों में इस जांच की आवश्यकता होगी जो धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ए) से खंड (डी) के अंतर्गत नहीं आते हैं। कारण सरल है। जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, उप-धारा (3) में उल्लिखित प्रकृति के समझौतों का एक सराहनीय प्रभाव माना जाता है और इसलिए, एक बार निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि कोई विशेष समझौता हुआ है, सी. सी. आई. द्वारा आगे कोई अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त चार श्रेणियों में से कोई भी। हालाँकि, हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि धारा 3 (3) में उल्लिखित समझौतों से यह धारणा बनती है कि ऐसे समझौतों का प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह इस प्रकार है कि इस धारणा का खंडन किया जा सकता है क्योंकि इन समझौतों को इस तथ्य के निर्णायक प्रमाण के रूप में नहीं माना जाता है कि

जिसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित बात यह है कि एक बार जब सी. सी. आई. को पता चलता है कि मामला धारा 3 की उप-धारा (3) में उल्लिखित एक या अधिक खंडों द्वारा कवर किया गया है, तो उसे आगे कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है और बोझ ऐसे उद्यमों पर स्थानांतरित हो जाएगा या व्यक्ति आदि पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करके उक्त धारणा का खंडन करें।

यदि ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, जो अनुमान को दूर करता है, तो सी. सी. आई. धारा 19 में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखेगा।

अधिनियम और यह देखने के लिए कि क्या ये सभी या इनमें से कोई भी कारक स्थापित हैं। यदि सी. सी. आई. द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य से धारा 19 (3) में उल्लिखित एक या अधिक या सभी कारकों का पता चलता है, तो इसे फिर से एक ऐसे समझौते के रूप में माना जाएगा जो प्रतिस्पर्धा का सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकता है या होने की संभावना है, जिससे सी. सी. आई. को आगे की उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

अधिनियम के तहत इस संबंध में प्रावधान किया गया है। यह, हमारे अनुसार, व्यापक योजना है जब धारा 3 और 19 को संयुग्मन में पढ़ा जाना है। 75. इन अपीलों में, न्यायालय धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (डी) में आने वाले अपीलार्थियों के बीच किए गए कथित समझौते से संबंधित है, जो बोली में धांधली या मिलीजुली बोली की बात करता है। इसलिए इसका अर्थ समझना आवश्यक होगा।

अभिव्यक्ति 'बोली में धांधली' और 'मिलीजुली बोली'। धारा 3 का स्पष्टीकरण, जिसे पुनः प्रस्तुत किया गया है, 'बोली में धांधली' का अर्थ निर्धारित करता है और कहता हैः

" एस. 3:

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "बोली में धांधली" का अर्थ है उद्यमों या निर्दिष्ट व्यक्तियों के बीच कोई समझौता।
उप-धारा (3) में समान या इसी तरह के उत्पादन में लगे हुए या राजस्थान सिलेंडर और कंटेनर्स लिमिटेड v.

भारत और एक अन्य का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]

वस्तुओं का व्यापार या सेवाओं का प्रावधान, जिसका बोलियों के लिए प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने या कम करने या बोली लगाने की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने या हेरफेर करने का प्रभाव पड़ता है। ”

76. बोली में धांधली के लिए आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं: (क) पक्षकारों के बीच; (ख) ये पक्ष समान उत्पादन या वस्तुओं के व्यापार या सेवाओं के प्रावधानों में लगे हुए हैं; और ई-समझौते का प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने या कम करने का प्रभाव है या बोली लगाने की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है या हेरफेर करता है।77. हालांकि 'मिलीजुली बोली' अभिव्यक्ति को बोली में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 'बोली में धांधली' और 'मिलीजुली बोली' दोनों अवधारणाओं को लागू कर रहे हैं। यह स्थिति एक्सेल क्रॉप लिमिटेड मामले में स्वीकार की गई है जो निम्नलिखित चर्चा से पाई जानी चाहिए।

से:

" 38. अपर सॉलिसिटर जनरल श्री नीरज किशन कौल ने उपरोक्त दलील का जोरदार तरीके से खंडन करते हुए कहा कि

बोली में धांधली और मिली-जुली बोली परस्पर अनन्य नहीं हैं और ये अतिव्यापी अवधारणाएं हैं। सचित्र रूप से, उन्होंने तत्काल मामले में ही सी. सी. आई. के निष्कर्षों का उल्लेख किया, जैसा कि सी. ओ. एम. पी. ए. टी. द्वारा अनुमोदित किया गया था।

इस प्रभाव के लिए कि अपीलकर्ताओं ने यहाँ इस आधार पर "बोली लगाने की प्रक्रिया में हेरफेर" किया था कि बोलियाँ प्रस्तुत की गई थीं

8-5-2009 सामूहिक रूप से, जो पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते की केवल शुरुआत थी और यह 1-6-2009 पर मूल्य बोलियों के उद्घाटन के माध्यम से जारी रहा और उसके बाद जब सभी दलों ने अपनी बोली को 388 रुपये प्रति किलोग्राम से घटाकर 386 रुपये प्रति किलोग्राम करने के लिए अपनी बोली को 2 रुपये के समान आंकड़े से कम कर दिया। इस उदाहरण से, उन्होंने प्रस्तुत किया कि 8-5 2009 को एक मिलीजुली बोली थी, लेकिन 17-6-2009 पर ठोस बातचीत के साथ, निरंतर प्रक्रिया में, यह अपीलार्थियों द्वारा की गई बोली में धांधली थी। हम विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के इस पेलुसिड प्रस्तुतिकरण से सहमत होने के लिए इच्छुक हैं।

39. रिचर्ड व्हिश और डेविड बेली [प्रतिस्पर्धा कानून, 7 वीं संस्करण। , पी। 536.] , अपनी पुस्तक में, मिलीजुली बोली/बोली में धांधली के विभिन्न रूपों के चित्र दिए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

(क) स्तर की निविदा/बोली (अर्थात उसी मूल्य पर बोली लगाना-जैसा कि

वर्तमान मामला)।

(ख) बोली/शिष्टाचार बोली को कवर करें।

(ग) बोली आवर्तन।

(घ) बोली आवंटन।

40. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, "मिली-जुली बोली" को "बोली में धांधली" से अलग नहीं समझा जाता है। इन दोनों अभिव्यक्तियों का उपयोग निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय में एक दूसरे के स्थान पर किया गया है। टिप्पणी/शब्दावली और प्रतियोगिता प्राधिकरणों की वेबसाइटः

(क) यू. एन. सी. टी. ए. डी. प्रतियोगिता शब्दावली दिनांक 22-6-2016 " बोली में धांधली या मिली-जुली निविदा एक ऐसा तरीका है जिसमें षड्यंत्रकारी प्रतियोगी प्रभावी रूप से कीमतें बढ़ा सकते हैं जहां प्रतिस्पर्धी बोलियों का अनुरोध करने के माध्यम से व्यावसायिक अनुबंध दिए जाते हैं। अनिवार्य रूप से, यह एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां प्रतियोगी पहले से सहमत होते हैं कि बोली कौन जीतेगा और किस कीमत पर, जो उद्देश्य को कम करता है।

" बोली में धांधली मिली-जुली कीमत तय करने के व्यवहार का एक विशेष रूप है जिसके द्वारा कंपनियां खरीद या परियोजना पर अपनी बोलियों का समन्वय करती हैं। अनुबंध। बोली में धांधली के दो सामान्य रूप हैं। सबसे पहले, कंपनियां आम बोलियां जमा करने के लिए सहमत होती हैं, इस प्रकार मूल्य प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। दूसरे में, फर्म इस बात पर सहमत होती हैं कि कौन सी फर्म सबसे कम बोली लगाने वाली होगी और इस तरह से घूमती है कि प्रत्येक फर्म अनुबंधों की संख्या या मूल्य पर सहमत हो।

चूंकि बोली लगाने के लिए खुले अधिकांश (लेकिन सभी नहीं) अनुबंधों में सरकारें शामिल होती हैं, इसलिए वे ही हैं जो अक्सर बोली में धांधली का लक्ष्य होते हैं। बोली में धांधली मिलीभगत के सबसे व्यापक रूपों में से एक है।

मिली-जुली बोली (निविदा)-"बोली में धांधली" देखें।

(ग) बोली में धांधली से लड़ने के लिए ओ. ई. सी. डी. दिशानिर्देश " बोली में धांधली (या मिली-जुली निविदा) तब होती है जब व्यवसाय, जिनसे अन्यथा प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद की जाती है, गुप्त रूप से जस्तान सिलेंडर्स एंड कॉन्टैनर्स लिमिटेड v.

भारत और एक अन्य का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]

बोली के माध्यम से उत्पादों या सेवाओं को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले खरीदारों के लिए वस्तुओं या सेवाओं की कीमतें बढ़ाएँ या उनकी गुणवत्ता कम करें। प्रक्रिया "।

(5) के आधार पर निर्दिष्ट मूल्य अंतर बनाए रखने के लिए समझौते उत्पाद की मात्रा, प्रकार या आकार।

(ई) ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता आयोग " बोली में धांधली, जिसे मिली-जुली निविदा के रूप में भी जाना जाता है, तब होती है जब दो या दो से अधिक प्रतियोगी सहमत होते हैं कि वे निविदाओं के लिए एक-दूसरे के साथ वास्तव में प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, जिससे कार्टेल के सदस्यों में से एक को निविदा 'जीतने' की अनुमति मिलती है। बोली में धांधली करने वाले गुट के प्रतिभागी ले सकते हैं

वे निविदा प्रस्तुत करने के तरीके के बारे में सहमत होकर 'विजेता' बन जाते हैं, जिसमें कुछ प्रतियोगी निविदा न देने के लिए सहमत होते हैं।

41. कानून के प्रतिनिधि के रूप में, यह हमारा कार्य है, न कि एक कर्तव्य, कि हम उपरोक्त "स्पष्टीकरण" को उचित अर्थ और प्रभाव दें। यह हो सकता है।

इस पर आसानी से चर्चा की जा सकती है कि विधायिका का ध्यान था कि दोनों अभिव्यक्तियों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है। रखने की भी आवश्यकता है

धारा 3 के पीछे के उद्देश्य और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसे वह प्राप्त करना चाहता हैः

41.1 . धारा 3 की उप-धारा (1) को नकारात्मक शब्दों में जोड़ा गया है जो अनिवार्य करता है कि कोई भी उद्यम या उद्यमों का संघ नहीं है। या व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ कोई समझौता करेगा,
[2018] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" अधिनियम की धारा 2 (एच) में "उद्यम" और धारा 2 (1) में "व्यक्ति"। दूसरा भाग विषय से संबंधित है - समझौता। फिर से यह अपने दायरे और दायरे में बहुत व्यापक है क्योंकि इसमें उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, भंडारण, अधिग्रहण या माल का नियंत्रण या सेवाओं का प्रावधान शामिल है। तीसरा भाग इस तरह के समझौते के प्रभाव से संबंधित है, अर्थात्,

प्रतिस्पर्धा ", और यदि यह प्रभाव है, तो इस प्रावधान के पीछे का उद्देश्य इसकी अनुमति देना नहीं है। स्पष्ट उद्देश्य इस तरह के किसी भी प्रयास को विफल करना है। ऐसे समझौते जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रकृति के हों और ये स्वास्थ्यवर्धक हों

विधायिका का इरादा कभी भी "सांठगांठ" को बाहर करने का नहीं रहा बोली लगाना "बोली में धांधली" अभिव्यक्ति को संकीर्ण रूप से समझते हुए। निस्संदेह, धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (डी) में "बोली में धांधली" और "मिलीजुली बोली" दोनों अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है, लेकिन

इसका स्पष्टीकरण केवल बोली में धांधली को संदर्भित करता है। हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि इरादा "मिलीजुली बोली" को बाहर करने का था। भले ही स्पष्टीकरण में विशेष रूप से "मिलीजुली बोली" अभिव्यक्ति शामिल हो, खंड (डी) की व्याख्या करते समय, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि "मिलीजुली बोली" बोली लगाने की प्रक्रिया से भी संबंधित है। उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, हम "मिलीजुली बोली" को यह अर्थ देने के लिए इच्छुक हैं। यह तब अधिक होता है जब कुछ परिस्थितियों में "बोली में धांधली" और "मिली-जुली बोली" अभिव्यक्तियाँ परस्पर व्याप्त होती हैं, जिन्हें अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने भी स्वीकार किया था।

दो या दो से अधिक शब्द जो समान अर्थों के लिए अतिसंवेदनशील हैं, एक साथ जोड़े जाते हैं, शब्द एक दूसरे से रंग ले सकते हैं। (लीलाबाई गजानन पानसरे बनाम देखें। ओरिएंटल बीमा कंपनी। लिमिटेड [लीलाबाई गजानन पानसरे बनाम। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2008) 9 एस. सी. सी. 720], ठाकुरलाल डी. वडगामा बनाम। गुजरात राज्य [ठाकुरलाल डी. वडगामा बनाम। गुजरात राज्य (1973) 2 एस. सी. सी. 413: 1973 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 835] और एम. के. रंगनाथन बनाम मद्रास राज्य [एम. के. रंगनाथन बनाम। मद्रास राज्य, (1955) 2

एससीआर 374: ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 604]। ”

78. सुश्री दीवान का पहला प्रस्ताव, अर्थात। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले, कानूनी जो अधिकार क्षेत्र से संबंधित है

ऐसे मामलों से निपटने के लिए सी. सी. आई. और दूसरा तथ्यात्मक है, जिसकी जांच इन मामलों में तथ्यों के आधार पर की जानी है। जहाँ तक सबसे पहले

घटक का संबंध है, उपरोक्त योजना को ध्यान में रखते हुए

अधिनियम, हम सुश्री माधवी दीवान के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि इन मामलों में प्रतिस्पर्धा की कोई संभावना नहीं है और इसलिए, सी. सी. आई. के पास ऐसी कोई जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इसका दायरा और एक्सेल क्रॉप केयर लिमिटेड मामले में धारा 3 के प्रावधानों के दायरे पर विस्तार से विचार किया गया है। यह धारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को प्रतिबंधित करती है और प्रतिस्पर्धा अधिनियम के मुख्य उद्देश्य को सामने लाती है। इन पहलुओं को एक्सेल क्रॉप केयर लिमिटेड में नोट किया गया था, जिसके प्रासंगिक हिस्से पहले से ही ऊपर निकाले गए हैं। हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले के निम्नलिखित भाग को भी उद्धृत कर सकते हैं जिसमें अधिनियम के पीछे के उद्देश्य को निम्नलिखित तरीके से उजागर किया गया थाः

" 125. हम पहले ही देख चुके हैं कि इसकी प्रस्तावना और उद्देश्यों और कारणों के विवरण के संदर्भ में अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना, बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और देश में आर्थिक विकास को देखते हुए बाजार में प्रतिभागियों द्वारा किए गए व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। दूसरे शब्दों में, अधिनियम में न केवल मुक्त व्यापार की सुरक्षा की आवश्यकता है, बल्कि उपभोक्ता की सुरक्षा की भी आवश्यकता है ब्याज।
मामलों के निपटारे में देरी के साथ-साथ अंतरिम प्रतिबंध आदेशों को अनुचित रूप से जारी रखना प्रतिकूल हो सकता है और [2018] 12 एस. सी. आर.

देश की मुक्त अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। करने के प्रयास

भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाना ताकि इसे सर्वश्रेष्ठ के बराबर लाया जा सके।

वैश्वीकरण के इस युग में अर्थव्यवस्थाएँ खतरे में पड़ेंगी यदि

समयबद्ध अनुसूची और, किसी भी मामले में, द्वारा त्वरित निपटान

आयोग का पालन नहीं किया जाता है। विभिन्न प्रावधानों की योजना

जिस अधिनियम का हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, उसमें धाराएँ भी शामिल हैं।

26 , 29 , 30 , 31 , 53 - बी (5) और 53-टी और विनियम 12,15,16,22,

32 , 48 और 31 स्पष्ट रूप से समय सुनिश्चित करने के लिए विधायी इरादे को दर्शाते हैं

ऐसे मामलों का बाध्य निपटान।

79. हम इस बात पर फिर से जोर देना चाहेंगे कि अधिनियम का उद्देश्य है -

न केवल प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को उजागर करना बल्कि बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना भी। प्रवर्तन ऐसी स्थिति से बचने के लिए उपाय प्रदान करता है जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी। इसलिए, प्रभावी प्रवर्तन न केवल प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण को मंजूरी देने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भविष्य की प्रतिस्पर्धी प्रथाओं को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान मामले में ही उत्पाद के साठ आपूर्तिकर्ता हैं जिनके लिए तीन खरीदार हैं। आखिरकार, प्रत्येक आपूर्तिकर्ता एल-1 या एल-2 होना चाहेगा ताकि वह दूसरे की तुलना में अधिक मात्रा में ऑर्डर प्राप्त कर सके। इस मायने में उनके बीच प्रतिस्पर्धा होगी। इसके अलावा, यह आईओसीएल आदि जैसे खरीदारों के हित में भी होगा कि बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तत्व बने रहते हैं। किसी भी मामले में, यह सुनिश्चित करना सी. सी. आई. का कर्तव्य है कि प्रतिस्पर्धा को खत्म करने की प्रवृत्ति रखने वाली स्थितियों पर अंकुश लगाया जाए। सी. सी. आई. का यह भी कार्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रतिस्पर्धा हो ताकि इस तरह की प्रतिस्पर्धा का लाभ उपभोक्ताओं को मिले। हालांकि, जहां तक अपीलकर्ताओं द्वारा उजागर किए गए कुछ तथ्यात्मक पहलुओं का संबंध है, तीसरे प्रस्ताव की जांच करते समय उन पर विचार किया जाएगा, क्योंकि हम इन दोनों पहलुओं पर एक साथ चर्चा करना अधिक उचित समझते हैं।

80. सुश्री दीवान का दूसरा प्रस्ताव था कि कोई नहीं था

वर्तमान मामले में मिलीजुली बोली। सी. सी. आई. और सी. ओ. एम. पी. ए. टी. ने इस तर्क को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए खारिज कर दिया है कि आपूर्तिकर्ताओं का एक सक्रिय व्यापार संघ है; बोली की तारीख से कुछ दिन पहले एक बैठक हुई; इन अपीलार्थियों द्वारा सामान्य परिवर्तनों की ओर इशारा किया गया जिन्होंने उनकी ओर से बोलियां प्रस्तुत कीं; और अलग-अलग लागतों के बावजूद बोलियां समान राशि की थीं, जो प्रकृति में दोहराव वाली थीं। उत्तरदाताओं का यह कहना सही हो सकता है कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य

नहीं हो सकता है जिसके आधार पर गुटबंदी या पक्षों के बीच ऐसा समझौता साबित किया जा सके क्योंकि ये समझौते आम तौर पर बंद राजस्थान निर्देश और अनुबंध सीमा v में किए जाते हैं।

भारत और एक अन्य का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]

. प्रमाण का मानक जो आवश्यक है वह संभावना का एक मानक है,

यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे टेक्नीप एस. ए. बनाम एस. एम. एस. होल्डिंग (पी.) लिमिटेड की धारा 13 में स्वीकार किया गया है, जिसमें न्यायालय ने इस पहलू पर कहा और चर्चा की है।

विंग तरीके सेः

" 54. इस तरह के संगीत कार्यक्रम की स्थापना के लिए आवश्यक प्रमाण का मानक है

संभावना में से एक और स्थापित किया जा सकता है

" यदि उनके संबंध आदि, उनके आचरण और उनके सामान्य हित को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे एक साथ काम कर रहे होंगेः वास्तविक समन्वित अभिनय का प्रमाण आम तौर पर प्राप्त करना मुश्किल होता है, और इस पर जोर नहीं दिया जाता है। ईस्ट कोस्ट कमर्शियल कंपनी लिमिटेड, (1967) 1 एससीआर 821: ए. आई. आर 1967 एस. सी 768] . (एस. सी. आर पी. 829 एच)

55. यह तय करते समय कि क्या कोई कंपनी ऐसी थी जिसमें

धारा के अर्थ में जनता की काफी रुचि थी।

23 - आयकर अधिनियम, 1922 के बारे में इस न्यायालय ने कहाः

हमें बताता है कि यह सुरक्षित रूप से लिया जा सकता है कि वे एक साथ काम कर रहे होंगे। यह बताना आवश्यक नहीं है कि इस तरह के ठोस कृत्यों को साबित करने के लिए किस तरह के सबूत हैं। प्रत्येक मामले का फैसला अनिवार्य रूप से उसके अपने तथ्यों पर किया जाना चाहिए। [सी. आई. टी वी. जुबली मिल्स लिमिटेड, (1963) 48 आईटीआर 9 (एससी), पी। 20]

56. गिनीज पी. एल. सी. एंड डिस्टिलर्स कंपनी पी. एल. सी. [गिनीज पी. एल. सी.]

और डिस्टिलर्स कंपनी पी. एल. सी. (25-8-1987 पर पैनल सुनवाई और

2-9-1987 पी पर। 10052 — पैनल के निर्णयों के कारण।)] अधिग्रहण पैनल के सामने सवाल था कि क्या गिनीज के पास था पिपेटैक के साथ मिलकर काम किया जब पिपेटैक ने शेयर खरीदे

डिस्टिलर्स कंपनी पीएलसी। विभिन्न कारकों को लिया गया था

इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचार करें कि गिनीज ने साथ मिलकर काम किया था

पिपटेक को डिस्टिलर्स कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त होगा। पैनल ने कहाः

" सामूहिक रूप से अभिनय करने की प्रकृति के लिए आवश्यक है कि परिभाषा को जानबूझकर व्यापक शब्दों में तैयार किया जाए। इसमें एक समझ के साथ-साथ एक समझौता, और एक अनौपचारिक के साथ-

साथ एक औपचारिक व्यवस्था शामिल है, जो एक कंपनी का नियंत्रण हासिल करने के लिए शेयर खरीदने के लिए सहयोग की ओर ले जाती है। यह आवश्यक है, जैसे

लेन-देन में किसी न किसी प्रकार की समझ होती है और वे एक दूसरे के सहयोग से काम कर रहे होते हैं। [गिनीज पी. एल. सी. और डिस्टिलर्स कंपनी पी. एल. सी. (आई. डी. 2 और आई. डी 1 पर पैनल सुनवाई) पी। 10052 - पैनल के निर्णयों के कारण।)]

81. हम आयकर मिशनर, बॉम्बे सिटी I, बॉम्बे बनाम जुबली में निम्नलिखित चर्चा को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे।

लिमिटेड, बॉम्बे 1 4:

" 19. सुनवाई में एक मुद्दा उठाया गया कि यह एक तथ्य के रूप में साबित किया जाना चाहिए कि समूह का गठन करने वाले व्यक्ति जो मतदान शक्ति के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक शेयरों के मालिक हैं, वे एकजुट होकर काम कर रहे थे। परीक्षा यह नहीं है कि क्या उन्होंने वास्तव में एक साथ काम किया है, लेकिन क्या परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मानव अनुभव हमें बताता है कि यह सुरक्षित रूप से लिया जा सकता है कि वे एक साथ काम कर रहे होंगे। यह बताना आवश्यक नहीं है कि इस तरह के ठोस कृत्यों को साबित करने के लिए किस तरह के सबूत हैं। प्रत्येक मामले का निर्णय अनिवार्य रूप से अपने तथ्यों पर किया जाना चाहिए। 75 प्रतिशत से अधिक शेयरों से आम तौर पर इंगित तरीके से "सार्वजनिक" का बहिष्कार और एक व्यक्ति में ऐसी हिस्सेदारी का केंद्रीकरण।

या संगीत कार्यक्रम में अभिनय करने वाला समूह धारा 23 (ए) को आकर्षित करता है।

82. यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय को ओ. ई. सी. डी. नीति गोलमेज अभियोजन गुटों के साथ-साथ प्रत्यक्ष साक्ष्य 2006 की ओर आकर्षित किया था, जिसमें गुट समझौते को साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्यों की प्रकृति, उसके प्रासंगिक हिस्से पर चर्चा की गई थी।

उक्त नीति के पैरा 2 में उल्लिखित विवरण नीचे दिया गया हैः

" कार्टेल समझौतों को साबित करने के लिए उपलब्ध साक्ष्य

2.1 साक्ष्य की श्रेणियाँ

कार्टेल समझौते को साबित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले साक्ष्य को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य। परिस्थितिजन्य साक्ष्य, में

इसमें "संचार" साक्ष्य और आर्थिक साक्ष्य शामिल हैं, जिसमें दृढ़ आचरण, बाजार संरचना और सुविधाजनक प्रथाओं के साक्ष्य शामिल हैं। प्रत्यक्ष साक्ष्य के सामान्य प्रकारों में शामिल हैं:

एक दस्तावेज़ या दस्तावेज़ (ईमेल संदेशों सहित)

अनिवार्य रूप से समझौते, या इसके कुछ हिस्सों को मूर्त रूप देना, और इसके पक्षों की पहचान करना।

सहकारी गुट प्रतिभागियों द्वारा मौखिक या लिखित बयान

कार्टेल के संचालन और उसमें उनकी भागीदारी का वर्णन करना।

विभिन्न प्रकार के परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं। एक सबूत है कि कार्टेल ऑपरेटरों ने मुलाकात की या अन्यथा संवाद किया लेकिन उनके संचार के सार का वर्णन नहीं करता है। इस चर्चा के उद्देश्यों के लिए इसे संचार साक्ष्य कहा जा सकता है। इसमें शामिल हैं:

प्रतियोगियों के बीच टेलीफोन पर बातचीत (लेकिन उनका सार नहीं), या किसी सामान्य गंतव्य की यात्रा या किसी बैठक में भाग लेने के रिकॉर्ड, उदाहरण के लिए किसी व्यापार के दौरान।

सम्मेलन।

अन्य साक्ष्य जो पक्षों ने विषय के बारे में संप्रेषित किए उदाहरण के लिए, एक बैठक के कार्यवृत्त या टिप्पणियों से पता चलता है कि कीमतों, मांग या क्षमता उपयोग पर चर्चा की गई थी; प्रतियोगी मूल्य निर्धारण रणनीति के ज्ञान या समझ का प्रमाण देने वाले आंतरिक दस्तावेज, जैसे कि भविष्य में मूल्य वृद्धि के बारे में जागरूकता

प्रतिद्वंद्वी।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य की एक व्यापक श्रेणी को अक्सर आर्थिक साक्ष्य कहा जाता है। आर्थिक साक्ष्य मुख्य रूप से दृढ़ पहचान करते हैं।

ऐसा आचरण जो यह सुझाव देता है कि एक समझौता किया गया था, लेकिन समग्र रूप से उद्योग का संचालन भी, बाजार संरचना के तत्व जो सुझाव देते हैं कि गुप्त मूल्य निर्धारण संभव था, और कुछ प्रथाएं जिनका उपयोग कार्टेल समझौते को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। आचरण साक्ष्य एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का आर्थिक साक्ष्य है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कुछ संदिग्ध आचरण का अवलोकन अक्सर एक संभावित गुट की जांच को प्रेरित करता है। और जैसा कि अर्थशास्त्र पर इस लेख का खंड 11 पक्षों के आचरण का सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर प्रकाश डालता है, व्यवहार की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण है [2018] 12 एस. सी. आर.

जिसे पक्षों के एकतरफा स्वार्थ के विपरीत के रूप में वर्णित किया जा सकता है और जो इसलिए एक समझौते के निष्कर्ष का समर्थन करता है। आचरण साक्ष्य में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण शामिल हैं:

उद्योग प्रदर्शन को आचरण साक्ष्य के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। इसमें शामिल हैं:

असामान्य रूप से उच्च लाभ;

स्थिर बाजार शेयर प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन का इतिहास।

बाजार संरचना से संबंधित साक्ष्य का उपयोग मुख्य रूप से एक गुट समझौते के निष्कर्ष को अधिक प्रशंसनीय बनाने के लिए किया जा सकता है, भले ही बाजार संरचना कारक इस तरह के समझौते के अस्तित्व को साबित नहीं करते हैं।

समझौता। बाजार से संबंधित प्रासंगिक आर्थिक साक्ष्य

संरचना में शामिल हैं:

प्रवेश के लिए उच्च बाधाएं; ऊर्ध्वाधर एकीकरण की उच्च डिग्री;

मानकीकृत या समरूप उत्पाद।

हालांकि, संरचनात्मक साक्ष्य का साक्ष्य मूल्य सीमित हो सकता है। बिकने वाले अत्यधिक केंद्रित उद्योग हो सकते हैं।

सजातीय उत्पाद जिनमें सभी पक्ष प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसके विपरीत, इस तरह के साक्ष्य की अनुपस्थिति का उपयोग यह दिखाने के लिए नहीं किया जा सकता है कि एक गुट मौजूद नहीं था। कार्टेल को कई प्रतियोगियों और अलग-अलग उत्पादों के साथ उद्योगों में मौजूद होने के लिए जाना जाता है।

एक विशिष्ट प्रकार का आर्थिक आचरण साक्ष्य प्रथाओं को सुविधाजनक बनाना है-ऐसी प्रथाएं जो प्रतियोगियों के लिए किसी समझौते तक पहुंचना या उसे बनाए रखना आसान बना सकती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सुविधाजनक प्रथाओं के रूप में वर्णित आचरण आवश्यक रूप से गैरकानूनी नहीं है।

जहाँ एक प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण को एक गुट समझौते के अस्तित्व की ओर इशारा करने वाले अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिले हैं, वहाँ सुविधाजनक प्रथाओं का अस्तित्व एक महत्वपूर्ण पूरक हो सकता है। वे समझा सकते हैं कि गुट समझौते के गठन, निगरानी, पता लगाने के लिए पार्टियों ने किस तरह की व्यवस्था की है।

दलबदल, और/या सजा, इस प्रकार प्रतिस्पर्धा कानून लागू करने वाले द्वारा एक साथ रखी गई 'मिलीभगत की कहानी' का समर्थन करना। सुविधा देने वाला

अभ्यासों में शामिल हैं:

सूचना का आदान-प्रदान;

मूल्य संकेत;

माल ढुलाई समानीकरण;

मूल्य संरक्षण और सबसे पसंदीदा राष्ट्र नीतियाँ;

अनावश्यक रूप से प्रतिबंधात्मक उत्पाद मानक "।

83. इस प्रकार, संपन्न औपचारिक समझौते के प्रमाण के अभाव में भी, जब ऐसे संकेतक हैं कि पार्टियों के बीच व्यावहारिक सहयोग था जो जानबूझकर प्रतिस्पर्धा के जोखिम को प्रतिस्थापित करते हैं, तो यह प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के बराबर होगा। पश्चिम के कलाकारों और तकनीशियनों की समन्वय समिति में इस पर चर्चा की गई है।

बंगाल फिल्म और टेलीविजन और अन्य। (पैरा 44 और 45 देखें)। फिर, क्षैतिज सहयोग समझौतों के लिए यूरोपीय संघ के कामकाज पर संधि के अनुच्छेद 101 की प्रयोज्यता पर दिशा-निर्देश हैं जो निम्नानुसार दर्ज हैं:

" 60. सूचना के आदान-प्रदान को केवल अनुच्छेद 101 के तहत संबोधित किया जा सकता है यदि यह एक समझौते, एक ठोस अभ्यास को स्थापित करता है या उसका हिस्सा है।

या उपक्रमों के किसी संघ द्वारा लिया गया निर्णय। एक समझौते का अस्तित्व, एक संघ द्वारा एक ठोस अभ्यास या निर्णय

अनुच्छेद 101 (1)। यूरोपीय संघ के न्याय न्यायालय के मामले-कानून के अनुरूप, एक समेकित अभ्यास की अवधारणा उपक्रमों के बीच समन्वय के एक रूप को संदर्भित करती है, जिसके द्वारा यह उस स्तर तक पहुंचे बिना जहां एक उचित रूप से तथाकथित समझौता किया गया है, उनके बीच व्यावहारिक सहयोग है जानबूझकर
प्रतिस्पर्धा के जोखिमों के लिए प्रतिस्थापित। [2018] 12 एस. सी. आर. निर्धारित करने के लिए आवश्यक समन्वय और सहयोग के मानदंड।

एक ठोस अभ्यास का अस्तित्व, एक वास्तविक योजना तैयार करने की आवश्यकता से परे, प्रतिस्पर्धा पर संधि के प्रावधानों में निहित अवधारणा के प्रकाश में समझा जाना चाहिए, जिसके अनुसार प्रत्येक कंपनी को स्वतंत्र रूप से उस नीति को निर्धारित करना चाहिए जिसे वह आंतरिक बाजार में अपनाने का इरादा रखती है और वे शर्तें जो वह अपने ग्राहकों को देने का इरादा रखती है।

एक वास्तविक या संभावित प्रतियोगी के बाजार में, या ऐसे प्रतियोगी को उस आचरण की प्रक्रिया का खुलासा करना जिसे उन्होंने स्वयं बाजार में अपनाने या अपनाने पर विचार करने का निर्णय लिया है, जिससे बाजार में एक सांठगांठ वाले परिणाम की सुविधा होती है। इसलिए, सूचना का आदान-प्रदान एक ठोस अभ्यास का गठन कर सकता है यदि यह बाजार में रणनीतिक अनिश्चितता को कम करता है जिससे मिलीभगत की सुविधा होती है, अर्थात, यदि आदान-प्रदान किया गया डेटा रणनीतिक है। नतीजतन, प्रतियोगियों के बीच रणनीतिक डेटा साझा करना एकाग्रता के बराबर है, क्योंकि यह बाजार में प्रतियोगियों के आचरण की स्वतंत्रता को कम करता है और प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनके प्रोत्साहन को कम करता है। 62. एक ऐसी स्थिति जहां केवल एक ही उपक्रम अपने प्रतिद्वंद्वी (ओं) को रणनीतिक जानकारी का खुलासा करता है जो इसे स्वीकार करते हैं, वह भी एक ठोस अभ्यास का गठन कर सकता है। इस तरह का खुलासा हो सकता है, उदाहरण के लिए,

मेल, ईमेल, फोन कॉल, बैठकों आदि के माध्यम से संपर्क करें। फिर यह अप्रासंगिक है कि क्या केवल एक ही उपक्रम एकतरफा रूप से अपने प्रतिस्पर्धियों को अपने इच्छित बाजार व्यवहार के बारे में सूचित करता है, या क्या सभी भाग लेने वाले उपक्रम एक-दूसरे को संबंधित विचार-विमर्श और इरादों के बारे में सूचित करते हैं। जब केवल एक उपक्रम अपने प्रतिद्वंद्वियों को अपनी भविष्य की वाणिज्यिक नीति के बारे में रणनीतिक जानकारी देता है, तो यह राजस्थान साइलैंडर्स एंड कंटैनर्स लिमिटेड के बारे में रणनीतिक अनिश्चितता को कम करता है।

इसमें शामिल सभी प्रतियोगियों के लिए बाजार का भविष्य का संचालन

और प्रतिस्पर्धा को सीमित करने और मिलीभगत के जोखिम को बढ़ाता है

व्यवहार। उदाहरण के लिए, एक बैठक में केवल उपस्थिति जहां एक

कंपनी अपने प्रतिद्वंद्वियों को अपनी मूल्य निर्धारण योजनाओं का खुलासा करती है

स्पष्ट समझौते के अभाव में भी अनुच्छेद 101 द्वारा पकड़ा गया कीमतों में वृद्धि करना। जब कोई कंपनी एक से रणनीतिक डेटा प्राप्त करती है

प्रतियोगी (चाहे वह बैठक में हो, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से), यह होगा माना जाता है कि उन्होंने जानकारी को स्वीकार कर लिया है और अपने बाजार को अनुकूलित किया है

तदनुसार आचरण करें जब तक कि यह एक स्पष्ट कथन के साथ जवाब न दे कि यह इस तरह का डेटा प्राप्त नहीं करना चाहता है।

(जोर दिया गया)

84. हमारे अनुसार, वर्तमान मामले में वास्तविक प्रश्न यह है कि

क्या बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के समझौते की संभावना थी, भले ही हम इस आधार पर आगे बढ़ें कि बैठक हुई थी। सी. सी. आई. द्वारा इस तरह के समझौते की संभावना का अनुमान इस आधार पर लगाया गया है कि उसके बाद समान बोली लगाई जाती है और विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं ने अलग-अलग लागत के बावजूद ऐसी बोली दी और यह भी कि उन्होंने ऊपर बताए गए सामान्य परिवर्तनों आदि को नियुक्त किया है।

85. पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह है

कि क्या मोनोप्सोनी या ऑलिगोप्सोनी की स्थिति थी।

86. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि जहां तक सी. सी. आई. का संबंध है,

संबंधित, यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इसमें अपीलार्थियों के बीच एक गुटबंदी थी और धांधली के लिए एक ठोस निर्णय लिया गया था

आई. ओ. सी. एल. द्वारा जारी निविदाओं के लिए जो बोलियां प्रस्तुत की गई थीं। दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं का तर्क है कि ऐसा कोई समझौता नहीं था और भले ही कई बोलीदाताओं की बोलियां प्रकृति में समान थीं, बोलियां बाजार की स्थितियों से प्रेरित थीं। उनकी दलील है कि अल्पविकसित होने की स्थिति थी और आई. ओ. सी. एल. द्वारा निविदाएं जारी करने और अनुबंध देने में जो तरीका अपनाया गया था, उससे पता चलेगा कि कीमत का निर्धारण पूरी तरह से आई. ओ. सी. एल. के नियंत्रण में था। उनके अनुसार, जिस तरह से इन सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए कीमत निर्धारित की गई थी, वह सभी के लिए एक खुला रहस्य बन गया था। इसलिए, किसी भी प्रतियोगिता का कोई सवाल ही नहीं था और न ही उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना थी

किसी भी अनुबंध में प्रवेश करके प्रतिस्पर्धा।

87. वे कारक जिन्होंने नीचे दिए गए अधिकारियों को प्रभावित किया है

इस निष्कर्ष पर आते हुए कि अपीलकर्ताओं ने सांठगांठ की थी और एक [2018] 12 एस. सी. आर. का गठन किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कार्टेल जिसके कारण बोली में धांधली हुई, पहले ही ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। पुनः कब्जा करने के लिए, नीचे दिए गए अधिकारी निम्नलिखित कारकों से प्रभावित हुए हैंः

1. बाजार की स्थिति।

2. आपूर्तिकर्ताओं की कम संख्या

3. कुछ नए प्रवेशक

4. सक्रिय व्यापार संघ

5. बार-बार बोली लगाना

7. कम या कोई विकल्प नहीं

8. कोई महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन नहीं

9. मुंबई में बोलीदाताओं की बैठक और इसका एजेंडा।

10. आम एजेंटों की नियुक्ति

11. अलग-अलग लागत के बावजूद समान बोलियां।

उपरोक्त पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के बाद, सी. सी. आई. ने निष्कर्ष निकाला है कि एक सक्रिय व्यापार संघ है जिसमें कई अपीलार्थी हैं

यह सुनिश्चित करता है कि सभी सदस्य कुछ ऑर्डर प्राप्त करने में सक्षम हैं। यही कारण है कि अलग-अलग स्थानों पर आई. ओ. सी. एल. द्वारा विभिन्न मानकों में प्रस्तुत बोलियां अलग-अलग लागतों के बावजूद लगभग समान हैं। द. नीचे दिए गए अधिकारियों ने इस समान बोली को अपीलार्थियों की ठोस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह इस तथ्य से अनुमान लगाया गया है कि बोलियां जमा करने से दो-तीन दिन पहले संघ की बैठक हुई थी जिसमें अधिकांश अपीलार्थी शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, छह आम एजेंटों को नियुक्त किया गया, जिन्होंने इन अपीलार्थियों की ओर से बोलियां प्रस्तुत कीं।

88. हम शुरुआत में ही कह सकते हैं कि यदि इन कारकों को स्वयं ध्यान में रखा जाए, तो वे इस निष्कर्ष की ओर ले जा सकते हैं कि

बोली में धांधली हो रही थी। हम विशेष रूप से इस तथ्य पर जोर दे सकते हैं कि अपीलकर्ताओं का एक सक्रिय व्यापार संघ है और निविदाएं जमा करने से ठीक पहले मुंबई में बोलीदाताओं की एक बैठक आयोजित की गई थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अलग-अलग लागतों के बावजूद समान बोलियां थीं। इसके अलावा, उत्पाद समान हैं और कुछ नए प्रवेशकों के साथ आपूर्तिकर्ताओं की संख्या कम है। ये सहायक कारक बन गए हैं जिन्होंने सी. सी. आई. को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए राजी किया कि ये मिलीजुली बोली के सूचक हैं। 89. हालाँकि, यह सिक्के का केवल एक पहलू है। उपरोक्त कारकों का विश्लेषण उन जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए जो प्रचलित थीं, जिन्हें अपीलकर्ताओं द्वारा इंगित किया गया है। अपीलार्थियों के वकील द्वारा इन परिचर परिस्थितियों पर विस्तार से तर्क दिया जाता है जिन पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है। हम इसे नीचे संक्षेप में दोहरा सकते हैं:

(i) वर्तमान मामले में केवल तीन खरीदार हैं। इनमें से आईओसीएल 48 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा खरीदार है। यह भी एक रिकॉर्ड की बात है कि ये सभी अपीलकर्ता 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर के निर्माता हैं जो तीन खरीदारों के लिए उपलब्ध हैं। आई. ओ. सी. एल., एच. पी. सी. एल. और बी. पी. सी. एल. नामक बाजार। यदि ये तीन खरीदार किसी भी अपीलार्थी से खरीद नहीं करते हैं, तो वह विशेष अपीलार्थी उन सिलेंडर को किसी अन्य संस्था को बेचने की स्थिति में नहीं होगा।

क्योंकि कोई अन्य खरीदार नहीं हैं।

मैदान में प्रवेश करने के लिए।
(iii) आई. ओ. सी. एल. द्वारा जिस तरह से निविदाएं जारी की जाती हैं और जिन दरों पर ये प्रदान की जाती हैं, वे एक संकेतक हैं कि यह आई. ओ. सी. एल. है जो मूल्य नियंत्रण का संबंध रखता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आई. ओ. सी. एल. इन सिलेंडरों की लागत के बारे में अपने आंतरिक अनुमान लगाने की कवायद करता है। उनके अपने विशेषज्ञ रुपये के आंकड़े पर पहुंचे। 1106.61 पैसा प्रति सिलेंडर। जिन सभी निविदाओं को स्वीकार किया गया है, वे आई. ओ. सी. एल. के उपरोक्त अनुमान से कम कीमत पर हैं।

उद्देश्य, इसने अपनी व्यापक नीति भी तैयार की है। यह भी दर्शाता है यह नियंत्रण आई. ओ. सी. एल. के पास रहता है।

इस प्रकार, अपीलकर्ता सही प्रतीत होते हैं जब वे कहते हैं कि बोली प्रक्रिया में सभी प्रतिभागियों को अनुबंध दिए गए थे

किसी न किसी राज्य में जिसका उद्देश्य निर्माताओं का एक बड़ा समूह सुनिश्चित करना था ताकि आम जनता के लाभ के लिए इस आवश्यक उत्पाद की आपूर्ति हमेशा बनी रहे। अगर आई. ओ. सी. एल. ने कुछ निर्माताओं को खाली हाथ छोड़ दिया होता, तो पूरी संभावना है कि वे अपनी दुकानें बंद कर देते। हालांकि, आई. ओ. सी. एल. चाहता था कि सभी निर्माता अपने हित में इस दौड़ में शामिल हों। इसलिए, सभी पक्षों को सक्रिय रखना आवश्यक था और यह बताता है कि सभी 50 पक्षों ने 12 नए प्रवेशकों के साथ आदेश क्यों प्राप्त किया। (vi) अपीलार्थियों द्वारा इंगित एक और बहुत ही प्रासंगिक कारक है, अर्थात। , सरकारी नियंत्रण जो कानून द्वारा विनियमित होता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह केवल तीन तेल कंपनियां ही नहीं हैं जो घरेलू उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम एलपीजी राजस्थान सिलेंडर और कंटेनर लिमिटेड में एलपीजी की आपूर्ति कर सकती हैं।

भारत और एक अन्य का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]

एल. पी. जी. (विनियमन और वितरण) आदेश, 2000 में अनिवार्य सिलेंडर, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है, यहां तक कि जिस कीमत पर उपभोक्ता को एल. पी. जी. सिलेंडर की आपूर्ति की जानी है, वह भी सरकार द्वारा नियंत्रित है। उपरोक्त एल. पी. जी. आदेश, 2000 की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

महत्वपूर्णः •
14. 2 किलोग्राम गैस सिलेंडरों में आपूर्ति की जाने वाली एलपीजी एक आवश्यक वस्तु है।

वस्तु। • 14. 2
किलोग्राम सिलेंडर में एलपीजी का वितरण इस प्रकार होता है -

आदेश के खंड 2 (1) के तहत परिभाषित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हिस्सा "केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार द्वारा नियंत्रित या घोषित मूल्य पर सरकारी तेल कंपनी द्वारा तरल पेट्रोलियम गैस के वितरण, विपणन या बिक्री की प्रणाली" है।

• उपभोक्ता के लिए मूल्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। • घरेलू उपभोक्ताओं को ही एलपीजी की आपूर्ति की जाएगी।

14. 2 किलोग्राम गैस सिलेंडरों में।

• ● अनुसूची III के साथ पठित खंड 4 और 5 के अनुसार

एल. पी. जी. ऑर्डर, समानांतर विपणक जो एल. पी. जी. सिलेंडरों की आपूर्ति और वितरण करते हैं, केवल आकार और विशिष्टताओं वाले सिलेंडरों के लिए ऐसा कर सकते हैं।

अनुसूची II में निर्दिष्ट लोगों के अलावा।

90. जिस तरह से निविदा प्रक्रिया होती है, उससे पता चलता है कि ऐसे प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में, अलग-अलग बोलीदाता जो बोली जमा करेगा, वह स्पष्ट हो जाती है। यह रिकॉर्ड में आया है कि विचाराधीन निविदा से कुछ दिन पहले बी. पी. सी. एल. द्वारा एक और निविदा जारी की गई थी और उक्त निविदा के खुलने पर एल-1, एल-2 आदि की दरों का पता चला। इस तरह के परिदृश्य में, यह स्पष्ट रूप से बोलीदाताओं के लिए अपनी बोलियां जमा करने के लिए एक मार्गदर्शक कारक बन जाता है।

91. जब हम जमीनी स्तर पर उपरोक्त तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हैं, तो वे ही कारक जिनके आधार पर सी. सी. आई. इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि गुटबंदी थी, वास्तव में, सी. सी. आई. द्वारा बताए गए संकेतकों के लिए वैध स्पष्टीकरण बन जाते हैं। हम पहले ही बाजार की स्थितियों और कम संख्या में आपूर्तिकर्ताओं के बारे में टिप्पणी कर चुके हैं। हमने यह भी उल्लेख किया है कि 12 नए प्रवेशकों को [2018] 12 एस. सी. आर. नहीं माना जा सकता है।

बहुत कम नए आपूर्तिकर्ताओं का प्रवेश जहां मौजूदा आपूर्तिकर्ता केवल 50 थे। बाजार स्थितियों के साथ समान उत्पाद जिनके लिए केवल तीन खरीदार होंगे, वास्तव में, अपीलार्थियों के पक्ष में जाएंगे। दोहराए जाने वाली बोली का कारक, हालांकि अपीलार्थियों के खिलाफ एक कारक प्रतीत होता है, उपरोक्त परिदृश्य में भी संभव था। मौजूदा परिस्थितियां वास्तव में कीमत में बहुत अधिक भिन्नता की संभावना को खारिज करती हैं और सभी निर्माता लगभग एक दूसरे के काफी करीब कीमत के साथ अपनी बोली जमा करने के लिए मजबूर हैं। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि

बाजार में खुद को बनाए रखें। इसलिए, यह कारक कि ये आपूर्तिकर्ता अलग-अलग क्षेत्र से हैं, जिनकी निर्माण की अलग-अलग लागत है, इसका महत्व कम हो जाएगा। यह एक ऐसी स्थिति है जहां मुख्य शर्त उस कीमत को उद्धृत करना है जिस पर एक विशेष निर्माता ऑर्डर प्राप्त कर सकता है, भले ही इसकी निर्माण लागत दूसरों की निर्माण लागत से अधिक हो। इस तरह के निर्माण का मुख्य उद्देश्य दौड़ में बने रहना और हारना नहीं होगा। इसलिए, यह कम मार्जिन स्वीकार करने के लिए तैयार होगा। यह जवाब देगा कि अलग-अलग लागत के बावजूद लगभग समान बोलियां क्यों थीं।

92. जहां तक निविदा जमा करने की तारीख से ठीक पहले मुंबई में बोलीदाताओं की बैठक का संबंध है, कुछ पहलुओं का उल्लेख किया गया है

अपीलार्थियों पर सी. सी. आई. या सी. ओ. एम. पी. ए. टी. द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता है। नहीं।

संदेह है, बैठक निविदा की तारीख से कुछ दिन पहले हुई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एजेंडा के रिकॉर्ड में न आने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस बैठक में केवल 19 अपीलकर्ताओं ने भाग लिया था। कई अन्य सदस्य भी नहीं थे या बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इसके बावजूद, उन्होंने भी बैठक में भाग लेने वाले के लगभग समान दरों का हवाला दिया। यह हमें इस निष्कर्ष पर ले जाएगा कि समान कीमत उद्धृत करने का कारण बैठक नहीं बल्कि कुछ और था। सवाल यह है कि दूसरा कारण क्या होगा और क्या अपीलार्थी संतोषजनक रूप से इसकी व्याख्या करने और उनके खिलाफ धारणा का खंडन करने में सक्षम हुए हैं?

93. व्याख्या बाजार की स्थिति है जो अल्पविकसितता की स्थिति की ओर ले जाती है जो सीमित खरीदारों और के प्रभाव के कारण प्रचलित थी

कीमतों के निर्धारण में खरीदार सभी प्रचलित थे। यह तथ्यों के दिए गए समूह में आश्वस्त करने वाला प्रतीत होता है। ऑलिगोप्सोनी की स्थिति दोनों तरह से हो सकती है। ऐसी स्थिति हो सकती है जब विक्रेता कम हों और वे बाजार को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी ठोस कार्रवाई से इसमें शामिल हो सकते हैं।

कार्टेलाइजेशन। यह भी हो सकता है, जैसा कि वर्तमान मामले में, एक ऐसी स्थिति जहां खरीदार कम हैं और जिसके परिणामस्वरूप खरीदारों के नियंत्रण के साथ अल्पविकसितता की स्थिति पैदा होती है।

94. पुनर्कथन के लिए, अपीलकर्ताओं के खिलाफ दो प्रमुख कारक, एच पर सी. सी. आई. द्वारा चर्चा की गई है, कि एक मिली-जुली निविदा थी, एच का अनुमान अपीलकर्ताओं के समानांतर व्यवहार से लगाया जाता है, अर्थात्:उनकी बोलियों में लगभग समान दरें हैं। इन पहलुओं के आधार पर मापदंडों का आकलन एक्सेल क्रॉप केयर में किया गया है।

टेड इस प्रकार है:

" 50. इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि मिली-जुली निविदा एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत कंपनियां आपस में सहयोग करने के लिए सहमत होती हैं। निविदा के निमंत्रण का जवाब। इस तरह की मिलीजुली निविदा का मुख्य उद्देश्य उनकी सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है, हालांकि,

इस तरह की मिली-जुली निविदा के तथ्य के अलावा अन्य लाभ भी हैं।

जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं। मकसद इतना कम हो सकता है ठेकेदार वास्तव में किसी विशेष सौदे की कीमत तय करने के लिए परेशान होते हैं ताकि ओवरहेड्स को कम रखा जा सके। यह भी कारण हो सकता है कि एक ठेकेदार एक निविदा बना सकता है जिसे वह जानता है कि स्वीकार नहीं किया जाएगा (क्योंकि यह सहमति हुई है कि कोई अन्य फर्म कम कीमत पर निविदा देगी) और फिर भी यह इंगित करता है कि उक्त ठेकेदार अभी भी व्यापार करने में रुचि रखता है, ताकि इसे प्रस्तावक की सूची से हटाया न जाए। इसका यह भी मतलब हो सकता है कि एक ठेकेदार चिंता किए बिना अपने स्थापित, पसंदीदा ग्राहकों के व्यवसाय को बनाए रख सकता है।

कि उनके प्रतिद्वंद्वियों द्वारा उनका अवैध शिकार किया जाएगा। 51. मिली-जुली निविदा कई रूप लेती है। सबसे सरल रूप यह है कि सभी को ऑर्डर का अपना उचित हिस्सा मिलेगा, इस उम्मीद के साथ समान कीमतों को उद्धृत करने के लिए सहमत होना है। वर्तमान में यही हुआ है।

मामला। हालाँकि, चूंकि इस तरह का आचरण संदिग्ध हो जाता है और आसानी से प्रतियोगिता अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगा,

विभिन्न रूपों की अधिक सूक्ष्म व्यवस्था भी की जाती है।

विचार के परिणामस्वरूप कुछ या सभी सदस्यों को नुकसान होगा कार्टेल। एक अन्य प्रणाली, जो प्रकाश में आई है, वह है आदेशों को घुमाना। ऐसे मामले में, जिस फर्म की बारी ऑर्डर प्राप्त करने की है, वह

सुनिश्चित करें कि इसका उद्धरण दूसरों के उद्धरणों से कम है।

52. हम यहाँ समानांतर व्यवहार से संबंधित हैं। हम हैं।

श्री वेणुगोपाल द्वारा एक [2018] 12 एस. सी. आर. में दिए गए तर्क से अवगत हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अल्पाधिकार स्थिति समानांतर व्यवहार, अपने आप में, इसके बराबर नहीं हो सकता है एक समन्वित अभ्यास। इस पर ध्यान देना उचित होगा कि

यूरोपीय न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद रंजक पदार्थः

" अपनी प्रकृति से, तो, समन्वित अभ्यास नहीं है एक अनुबंध के सभी तत्व लेकिन अन्य बातों के साथ-साथ उत्पन्न हो सकते हैं

समन्वय जो व्यवहार से स्पष्ट हो जाता है

प्रतिभागियों को। हालाँकि समानांतर व्यवहार स्वयं नहीं हो सकता है। एक समेकित अभ्यास के साथ पहचाना जा सकता है, हालांकि यह हो सकता है

इस तरह के एक अभ्यास के मजबूत सबूत के लिए राशि अगर यह की ओर जाता है

प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ जो सामान्य के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करती हैं

बाजार की स्थितियों, की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए

उक्त बाजार की मात्रा। यह विशेष रूप से ऐसा मामला है जहाँ समानान्तर व्यवहार ऐसा है जो पक्षों को माँगने की अनुमति देता है।

[आंतरिक] बाजार में उत्पाद और उपभोक्ताओं द्वारा स्वतंत्र विकल्प उनके आपूर्तिकर्ताओं से।

(जोर दिया गया)

उसी समय, न्यायालय ने यह भी जोड़ा कि एक का अस्तित्व

सम्मिलित अभ्यास का उचित मूल्यांकन किया जा सकता है।

निम्नलिखित परीक्षण पर ध्यान देंः

" यदि वह साक्ष्य जिस पर विवादित निर्णय आधारित है माना जाता है, अलगाव में नहीं, बल्कि समग्र रूप से, ध्यान में रखा जा रहा है

विचाराधीन उत्पादों की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में।

उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हम इससे निपटते हैं

अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई अल्पविकसितता पर वृद्धि।

95. मोनोपसोनी में एक एकल खरीदार के साथ एक बाजार शामिल है। कब

केवल कुछ ही खरीदार हैं जिन्हें बाजार एक अल्पविकसित श्रेणी के रूप में वर्णित किया गया है।

इस बात पर जोर दिया जाता है कि ऐसी स्थिति में कोई निर्माता नहीं है

एस को व्यापार से बाहर निकलना होगा। इसलिए, पहली शर्त

psony पूरा हो गया है। के अस्तित्व के लिए दूसरी शर्त

psony यह है कि क्या खरीददारों का निवेश की कीमत पर कुछ प्रभाव है। यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या विक्रेता के पास राजस्थान सिलेंडर और कंटेनर्स लिमिटेड की कोई क्षमता है।

मूल्यों को बढ़ाने के लिए या इसे उपरोक्त खरीदारों द्वारा कम/समाप्त कर दिया गया।

96. इस मामले के उदासीन दृष्टिकोण पर, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता विभिन्न संकेतकों का उल्लेख करके जिम्मेदारी का निर्वहन करने में सक्षम रहे हैं

जो यह दर्शाते हैं कि समानांतर व्यवहार किसी भी ठोस अभ्यास का परिणाम नहीं था।

97. डायस्टफ्स में, यूरोपीय न्यायालय ने माना कि समानांतर व्यवहार

यह अपने आप में एक ठोस अभ्यास नहीं है, हालांकि यह प्रदान कर सकता है

इस तरह की प्रथा का एक मजबूत प्रमाण। फिर भी, यह इस तरह की प्रथा का एक मजबूत प्रमाण है। हालाँकि, इस तरह का निष्कर्ष निकालने से पहले यह देखना होगा कि इस समानांतर व्यवहार ने प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को जन्म दिया है जो उत्पादों की प्रकृति, आकार और उपक्रम की मात्रा को ध्यान में रखते हुए बाजार की सामान्य स्थितियों के अनुरूप नहीं हैं। इस प्रकार, हम बाजार अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से मामले की जांच करते हैं जहां अल्पविकसितता का सवाल प्रासंगिक है।

जब भी ऑलिगोप्सोनी की स्थिति होती है, तो समानांतर मूल्य निर्धारण सरलीकरण इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि एक ठोस अभ्यास था।

यह दिखाने के लिए अन्य विश्वसनीय और पुष्टिकारक साक्ष्य होने चाहिए कि एक अल्पाधिकार में कीमत में कमी अन्य दो या तीन प्रतिद्वंद्वियों के ग्राहकों को तेजी से आकर्षित करेगी, जिन पर प्रभाव इतना विनाशकारी होगा कि उन्हें कटौती का मिलान करके प्रतिक्रिया देनी होगी। ऑक्सफोर्ड के प्रतिस्पर्धा कानून 1 5 में रिचर्ड व्हिश और डेविड बेली ने चर्चा की

" अल्पाधिकारवादी अन्योन्याश्रितता का सिद्धांत "निम्नानुसार हैः

" एक अल्पाधिकार में कीमत में कमी तेजी से आकर्षित करेगी अन्य दो या तीन प्रतिद्वंद्वियों के ग्राहक, जिन पर प्रभाव इतना विनाशकारी होगा कि उन्हें मिलान करके प्रतिक्रिया देनी होगी

कट गया। इसी तरह एक अल्पाधिकारवादी इसकी कीमत नहीं बढ़ा सका। एकतरफा, क्योंकि यह अपने ग्राहकों द्वारा छोड़ दिया जाएगा अगर यह किया

तो। इस प्रकार यह सिद्धांत चलता है कि एक अल्पाधिकारवादी बाजार में

प्रतिद्वंद्वी परस्पर निर्भर हैंः वे प्रत्येक के बारे में पूरी तरह से जानते हैं

दूसरों की उपस्थिति और एक दूसरे से मेल खाने के लिए बाध्य हैं

विपणन रणनीति। परिणाम यह है कि मूल्य प्रतिस्पर्धा

उनके बीच न्यूनतम या गैर-मौजूद होगा; अल्पाधिकार गैर-प्रतिस्पर्धी स्थिरता पैदा करता है।

..... अल्पाधिकारवादी अपनी परस्पर निर्भरता के साथ-साथ उनकी स्वयं का स्वार्थ। एक-दूसरे के आचरण का मिलान करके वे

15 सातवां संस्करण; अध्याय 14-क्षैतिज समझौते (डब्ल्यू)-एकाधिकार, मौन मिलीभगत और

सामूहिक प्रभुत्व; पीजी 561-562,565-566 [2018] 12 एस. सी. आर.

लाभ प्राप्त करने और शुल्क लेने में सक्षम होंगे-अधिकतम मूल्य जो वास्तव में एक दूसरे के साथ संवाद किए बिना एक अति-प्रतिस्पर्धी स्तर पर स्थापित किया जाएगा। वहाँ नहीं है

कोई भी संचार होना चाहिएः बाजार की संरचना

ऐसा है कि परस्पर निर्भरता और आपसी आत्म के माध्यम से

..... अल्पाधिकार के खिलाफ मामले का तार्किक निष्कर्ष यह है कि चूंकि यह बाजार संरचना ही है जो समस्या पैदा करती है, इसे ठीक करने के लिए संरचनात्मक उपाय किए जाने चाहिए

बाजार को विकेंद्रित करना। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, मूल्य निर्धारण रणनीतियों में सचेत रूप से समानांतर कार्रवाई का एक क्षेत्र होगा जो गुटों के खिलाफ कानूनों की पहुंच से बाहर है और फिर भी जिसका उपभोक्ता कल्याण के लिए गंभीर प्रभाव पड़ता है।

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

((iii) एक विनियामक दृष्टिकोण

एक अलग संभावना होगी कि कीमतों को विनियमित किया जाए

ऐसे उपक्रम जो अल्पाधिकारवादी वातावरण में काम करते हैं। यह,

इस सवाल से चिंतित होना चाहिए कि क्या वहाँ है प्रवेश के लिए बाधाएं हैं और क्या राज्य स्वयं, उदाहरण के लिए प्रतिबंधात्मक लाइसेंस नियमों, विनियमन या कानून के माध्यम से, प्रतिस्पर्धा की कमी के लिए जिम्मेदार है।

98. थिएटर एंटरप्राइजेज बनाम पैरामाउंट फिल्म्स 1, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय निम्नानुसार आयोजित किया गयाः

" 1-3 महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता के प्रति उत्तरदाताओं का आचरण स्वतंत्र निर्णय से उत्पन्न हुआ है या

समझौता, मौन या अभिव्यक्त। सुनिश्चित करने के लिए, व्यावसायिक व्यवहार है

स्वीकार्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य जिससे तथ्य खोजने वाला सहमति का अनुमान लगा सकता है। अंतरराज्यीय परिपथ।

लेकिन इस न्यायालय ने कभी यह नहीं माना कि समानांतर व्यावसायिक व्यवहार का प्रमाण निर्णायक रूप से समझौते को स्थापित करता है या, अलग तरीके से, कि ऐसा व्यवहार स्वयं शेरमेन अधिनियम का अपराध है। सचेत रूप से समानांतर व्यवहार के परिवेशी साक्ष्य ने पारंपरिक न्यायिक दृष्टिकोण में भारी पैठ बना दी होगी।

षड्यंत्र; लेकिन "सचेत समानता" ने अभी तक षड्यंत्र को नहीं पढ़ा है

पूरी तरह से शेरमन अधिनियम से बाहर "।

99. इस संबंध में, मोनसेंटो कंपनी बनाम में एड स्टेट्स के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण। स्प्रे-राइट सर्विस कार्पोरेशन। 1 7 प्रासंगिक है

एस यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" सही मानक यह है कि ऐसे सबूत होने चाहिए जो

इस संभावना को बाहर करने के लिए कि निर्माता और गैर

समाप्त वितरक स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे। अर्थात्, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य होना चाहिए जो यथोचित रूप से

साबित करें कि निर्माता और अन्य लोगों को होश था

एक सामान्य योजना के लिए प्रतिबद्धता जिसे प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है

गैरकानूनी उद्देश्य "।

100. इस परीक्षण को संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मात्सुशिता बनाम में दोहराया गया था। जेनिथ अनुपात कार्पोरेशन। 18 1 8:

" ..... लेकिन अविश्वास कानून अनुमेय निष्कर्षों की सीमा को सीमित करता है।

1 मामले में अस्पष्ट साक्ष्य से। इस प्रकार, मोनसेंटो कं. वी. स्प्रे-राइट सर्विस कार्पोरेशन। , 465 यू. एस. 752 (1984) में, हमने उस आचरण को अवैध के साथ अनुमेय प्रतिस्पर्धा के अनुरूप माना।

षड्यंत्र, अकेले खड़े होकर, एक अनुमान का समर्थन नहीं करता है अविश्वास की साजिश। आईडी. , 764 पर। सिटीज सर्विस, ऊपर भी देखें।

280. संक्षिप्त निर्णय या निर्देशित निर्णय के लिए एक प्रस्ताव से बचने के लिए, 1 के उल्लंघन के लिए हर्जाने की मांग करने वाले वादी को सबूत प्रस्तुत करना चाहिए "जो इस संभावना को बाहर करता है" कि कथित

षड्यंत्रकारियों ने स्वतंत्र रूप से काम किया। 465 अमेरिका, 764 पर।

..... याचिकाकर्ताओं का कथित साजिश में शामिल होने का कोई मकसद नहीं था। इसके विपरीत, संभवतः तर्कसंगत व्यवसायों के रूप में, याचिकाकर्ताओं को उस आचरण में शामिल नहीं होने के लिए हर तरह का प्रोत्साहन था जिसके साथ उन पर आरोप लगाया जाता है, क्योंकि इसका संभावित प्रभाव याचिकाकर्ताओं के लिए नुकसान पैदा करना होगा, जिसमें कोई संबंधित लाभ नहीं होगा। सी. एफ. सिटीज सर्विस, 391 यू. एस., 279 पर। अपील न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया कि

अमेरिका 752,104 एस. सी. टी. 1464, 79 L.Ed.2d 775 (1984)

अमेरिका 574 (1986)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कथित हिंसक मूल्य निर्धारण साजिश में प्रवेश करने के लिए एक प्रशंसनीय उद्देश्य का अभाव। इसके बजाय यह इस बात पर केंद्रित था कि क्या "प्रत्यक्ष" था।

कार्रवाई के संगीत कार्यक्रम का प्रमाण "। 723 एफ. 2 डी, 304 पर। का न्यायालय

अपीलों में दो मामलों में त्रुटि हुईः (i) जिस "प्रत्यक्ष साक्ष्य" पर अदालत ने भरोसा किया, उसकी कथित हिंसक मूल्य निर्धारण साजिश के साथ बहुत कम, यदि कोई हो, प्रासंगिकता थी; और (ii) अदालत हिंसक मूल्य निर्धारण में संलग्न होने के लिए एक प्रशंसनीय उद्देश्य के अभाव पर विचार करने में विफल रही।

XXX

XXX

XXX

उद्देश्य की कमी अनुमेय निष्कर्षों की सीमा पर निर्भर करती है जो अस्पष्ट साक्ष्य से लिए जा सकते हैंः यदि याचिकाकर्ताओं का षड्यंत्र करने का कोई तर्कसंगत आर्थिक उद्देश्य नहीं था, और यदि उनका आचरण है

अन्य, समान रूप से प्रशंसनीय व्याख्याओं के अनुरूप, [475 यू. एस. 574,597] आचरण साजिश के अनुमान को जन्म नहीं देता है। सिटीज सर्विस, ऊपर, 278-280 पर देखें।

101. इसी तरह, बेल अटलांटिक कॉर्प बनाम। ट्वॉम्बली 1 9, यू. एस.

ई. एम. ई. न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

यह "निर्णायक रूप से समझौता स्थापित करने या. स्वयं एक शेरमेन अधिनियम अपराध का गठन करने" से कम है। आईडी. , 540-541 पर। यहां तक कि " सचेत समानता, एक केंद्रित बाजार में फर्मों की एक सामान्य प्रतिक्रिया [जो] उनके साझा आर्थिक हितों और मूल्य और उत्पादन के संबंध में उनकी परस्पर निर्भरता को पहचानती है।

निर्णय अपने आप में गैरकानूनी नहीं हैं। ब्रुक ग्रुप लिमिटेड बनाम ब्राउन एंड विलियमसन टोबैको कार्पोरेशन , 509 यू. एस. 209,227 (1993); देखें 6

पी. अरीदा और एच. होवेनकैंप, एंटीट्रस्ट लॉ 1433 ए, पी। 236 (2 डी एड। 2003) (इसके बाद अरीदा और होवेनकैंप) ("अदालतें यह कहने में लगभग सर्वसम्मत हैं कि केवल परस्पर निर्भर समानता ही ऐसा करती है।

द्वारा आवश्यक अनुबंध, संयोजन या साजिश को स्थापित नहीं करना

शेरमन अधिनियम §1 "); टर्नर, शेरमन अधिनियम के तहत समझौते की परिभाषाः सचेत समानांतरता और सौदा करने से इनकार, 75 हार्व। एल. रेव. 655,672 (1962) ("[एम] की परस्पर निर्भरता

बुनियादी मूल्य निर्णय षड्यंत्र नहीं है ")।

[4-6] समानांतर आचरण दिखाने की अपर्याप्तता या

एकतरफा रूप से बाजार की आम धारणाओं से प्रेरित। देखें, उदाहरण के लिए, ए. ई. आई.-ब्रूकिंग्स ज्वाइंट सेंटर फॉर रेगुलेटरी स्टडीज, एपस्टीन, अविश्वास मामलों को खारिज करने के प्रस्तावः काल्पनिक से तथ्य को अलग करना, संबंधित प्रकाशन 06-08, पीपी। 3–4 (2006) (§1 मुकदमों में "गलत सकारात्मक" की समस्या पर चर्चा करना)। तदनुसार, हम पहले समान व्यवहार से गलत निष्कर्षों के खिलाफ बचाव कर चुके हैं

परीक्षण अनुक्रम में कई बिंदुओं पर। समानांतर आचरण से परे कुछ भी नहीं दिखाने वाले साक्ष्य के साथ एक अविश्वास साजिश वादी एक निर्देशित निर्णय का हकदार नहीं है, देखें थिएटर एंटरप्राइजेज, ऊपर; एक §1 साजिश के प्रमाण में स्वतंत्र कार्रवाई की संभावना को बाहर करने के लिए सबूत शामिल होना चाहिए, देखें मोनसेंटो कंपनी v। स्प्रे-राइट सर्विस कार्पोरेशन। , 465 यू. एस. 752 (1984); और संक्षिप्त निर्णय के चरण में एक धारा 1 वादी की साजिश का प्रस्ताव।

साक्ष्य को इस संभावना को खारिज करना चाहिए कि प्रतिवादी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, मात्सुशिता एलेक देखें। औद्योगिक

को. वी. जेनिथ रेडियो कार्पोरेशन। , 475 अमेरिका 574 (1986) "।

102. उस परीक्षण पर ध्यान देने के बाद जिसे ऐसे मामलों में लागू करने की आवश्यकता है, जिसे डाईस्टफ्स में निर्धारित किया गया था और एक्सेल क्रॉप में स्वीकार किया गया था

केयर लिमिटेड, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सी. सी. आई. द्वारा उसके द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों का अपीलकर्ताओं द्वारा विधिवत खंडन किया जाता है और अपीलकर्ता सी. सी. आई. द्वारा बताए गए कारकों के आधार पर उन पर स्थानांतरित किए गए दायित्व का निर्वहन करने में सक्षम हैं। हालाँकि, उस स्तर पर, सी. सी. आई. आवश्यक और आवश्यक जांच करके मामले को आगे बढ़ाने में विफल रहा जिसकी तत्काल आवश्यकता थी।

मामला।

103. हम यहां इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आईओसीएल की ऐसी जलरोधी निविदा नीति में, जिसने आईओसीएल को निविदा प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण दिया था, आईओसीएल को बुलाना आवश्यक था। इससे कई साफ हो गए होंगे।

ऐसे पहलू जो रहस्य में डूबे हुए हैं और धूल को साफ नहीं किया गया है।

104. इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पर्याप्त नहीं है।

ए.

यह अभिनिर्धारित करने के लिए साक्ष्य कि बोली में धांधली के लिए अपीलार्थियों के बीच कोई समझौता था। तदनुसार, हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं और नीचे दिए गए अधिकारियों के आदेश को दरकिनार कर देते हैं। नतीजतन, चूंकि कोई जुर्माना देय नहीं है, इसलिए सी. सी. आई. की अपीलों को निष्फल बना दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है

इस तरह। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।

बी.

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

कल्पना के. त्रिपाठी